होम्योपैथी चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) (डी.एच.एम.एस.) परीक्षा विनियम, 1982 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन दिनॉक 30 अक्टूबर, 1982

(हिन्दी एवं अंग्रेजी)

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412] भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 1982—कार्तिक 8, शके 1904

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 1982

क्र. 2788-416-पन्द्रह-मेडि-4—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19, सन, 1976) की धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य होम्योपैथी परिषद् मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से देखिये मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य विभाग का ज्ञापन क्र. 2578-2607-पन्द्रह-मेडि-4, दिनांक 1 अक्टूबर, 1982 एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

भाग क—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम:—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राज्य होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा विनियम, 1982 है;

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976);

(दो) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(तीन) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधिपत्र के लिये ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम जो कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली द्वारा विहित किया जाय और केन्द्रीय परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम इस प्रकार विहित न किये जाने की दशा में ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम जो कि परिषद् द्वारा इन विनियमों के अधीन विहित किया जाय;

(चार) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा संचालित होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि-पत्र (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा;

(पांच) "परीक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है, परीक्षा का संचालन करने वाला अधिकारी;

(छः) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(सात) "होम्योपैथिक महाविद्यालय/संस्था" से अभिप्रेत है राज्य होम्योपैथी परिषद् या राज्य सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त या होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय या संस्था;

(आठ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य होम्योपैथी परिषद् का अध्यक्ष/या प्रशासक;

(नौ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है परिषद् का रजिस्ट्रार.

(दस) "नियमित विद्यार्थी" से अभिप्रेत है ऐसा विद्यार्थी जिसने परिषद् से संबद्ध या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या परिषद् द्वारा स्थापित किसी संस्था/महाविद्यालय में नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया है, तथा ऐसे विद्यार्थी के रूप में परिषद् की परीक्षा में प्रवेश चाहता है.

भाग—ख—होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश,

3. होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधिपत्र पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि का होगा और उसमें होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधिपत्र के लिये अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छः मास की अनिवार्य रूप से निवासी चिकित्सक कार्य (इन्टर्नशिप) सम्मिलित है.

4. (1) केवल ऐसा अभ्यर्थी होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये पात्र होगा, जिसने:—

(क) उच्चतर माध्यमिक या इन्टरमीडियेट (10+2) परीक्षा या उसको समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की है, और

(ख) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र का प्ररूप प्रस्तुत करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के दिसंबर मास की 31 तारीख को या उसके पूर्व 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है.

(2) एसा अभ्यार्थी जिसनें होम्योपैथी तथा बायो केमेस्ट्री में उपाधिपत्र के लिये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधिपत्र के द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने के लिय पात्र होगा.

5. शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम अभ्यार्थी के विकल्प पर हिंदी या अंग्रेजी में होगा.

6. परिषद् को देय परीक्षा फीस तथा अन्य फीस परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी.

7. (1) किसी संबंध/मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश लेन का इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधान को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम अध्यापन संस्था के प्राचार्य/प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा तथा आवश्यक फीस तथा अन्य दस्तावजों के साथ आवेदन पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधान द्वारा इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा.

(2) उस संस्था का जिसमें अभ्यर्थी ने प्रवेश पाना चाहा है का प्राचार्य/प्रधान, अभ्यर्थी से उसके चरित्र, मैथजिक उपयुक्तता तथा इन विनयमों में विनिर्दिष्ट प्रवेश के लिये अन्य शर्तों तथा निबंधनों के संबध में अपना समाधान करने लिये अपेक्षा कर सकेगा.

8. परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था में दिये गये समस्त प्रवेश, परिषद् की पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुये होंगे, यदि कोई प्रवेश इन विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो परिषद् को इसके पूर्णतः विवेकाधीन यह शक्ति होगी कि ऐसे किसी पाठ्यक्रम की बाबत, जिसमें कि विद्यार्थी नें अध्ययन किया होता, किसी भी परीक्षा में प्रवेश देने से इन्कार कर सकेगी या परिषद् किसी अभ्यर्थी को दिया गया उपाधिपत्र अपने पूर्णतः विवेकाधीन प्रत्याहृत कर सकेगी यदि यह पाया जाता है कि विद्यार्थी नें कपटपूर्वक, दुर्व्यपदेशन, से, भूले से या दूषित करनेवाली बातों के परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया था.

9. मान्यताप्राप्त संस्थाओं में ऐसे अध्ययन पाठयक्रमों के लिये समस्त प्रवेश ऐसी तारीख को जिसे कि परिषद् इस संबंध मे समय-समय पर अधिसूचित करे, बंद कर दिये जायेंगे.

10. इन विनियमों में की कोई भी बात परिषद को किसी मान्यता प्राप्त संस्था में किसी अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेशों की संख्या को ऐसे पाठ्यक्रम के लिये, उपबंधित स्थान की उपलब्धता तथा सुविधाओं के अध्ययीन रहते हुये, सीमित करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी.

11. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में प्रवेश दिये गये विद्यार्थी को, ज्यों ही उसका आवेदन पत्र नामांकन प्रमाणपत्र के लिये परिषद् को अग्रेषित किया जाय, उस संस्था के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी.

12. किसी भी अभ्यर्थी को, परिषद् की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जब तक कि वह परिषद् के विद्यार्थी के रूप में नामांकित न किया गया हो, और परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार नामांकन फीस भुगतान न कर दिया हो.

13. नामांकन के लिये प्रारूप एक (क) में आवेदन पत्र, नामांकन फीस और प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ, उस संस्था के, जिसमें कि उसे प्रवेश दिया गया है, प्रधान के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तारीख से, 30 दिन के भीतर, या ऐसी कालावधि की, जिसे कि परिषद् अपने विवेकानुसार बढ़ाये, समाप्ति के पूर्व, परिषद् के कार्यालय में पहुंचा दिया जायगा.

14. रजिस्ट्रार परिषद् में नामांकित समस्त विद्यार्थियों का एक रजिस्टर तथा कार्ड इन्डेक्स बनाये रखेगा. कार्ड में नामांकित के समस्त पहचान के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित जानकारी अन्तर्विष्ट होगी और उसकी रजिस्ट्रार द्वारा अनुपूर्ति की जायेगी जिसमें पुर्नप्रवेश, स्थानांतर, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने या संस्था छोड़ने के संबंध में जानकारी प्रविष्ट की जायेगी.

15. नामांकन होने पर, प्रत्येक विद्यार्थी रजिस्ट्रार से प्ररूप दो (ख) में एक नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जिसमें नामांकन क्रमांक दर्शाया जायेगा, जिसके अधीन उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है, और उस क्रमांक को विद्यार्थी द्वारा परिषद् के साथ समस्त पत्र व्यवहार में तथा परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये पश्चात्वर्ती आवेदन पत्रों में उल्लेखित किया जायेगा.

16. नामांकन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति परिशिष्ट में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की गई फीस का भुगतान करने पर, जारी की जा सकेगी.

17. परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान मूल दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करने के पश्चात् उसकी संस्था में प्रवेश दिये गये समस्त विद्यार्थियों के नामांकन तथा नामांकन फीस और ऐसी अन्य जानकारी जो परिषद् द्वारा मंगाई जाय रजिस्ट्रार अपेक्षित करेगा.

18. किसी भी विद्यार्थी की एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के लिये परिषदकी पूर्व अनुज्ञा के बिना और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्थानांतर प्रमाण पत्र, प्ररूप दो में जारी किये बिना अनुज्ञात नहीं किया जायगा.

19. विनियम 18 के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुये, किसी विद्यार्थी को एक संस्था से दूसरी संस्था में उसके स्थानांतर के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायगा, जब तक कि वह उस संस्था से जिसमें उसने पहले प्रवेश ले चुका है, प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता और परिषद् का अध्यक्ष, स्थानांतर के लिये विद्यार्थी द्वारा उसके समक्ष रखे गये कारणों को वास्तविक नहीं समझता.

20. (1) इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि कोई विद्यार्थी सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् या सत्र के दौरान संस्था से अपना स्थानांतर चाहता है, और कोई अन्य संस्था से संयोजित होना चाहता है, तो वह—

(एक) संस्था को छोड़ने का अपना आशय तथा उसके लिए कारण दर्शाते हुये, प्राचार्य के माध्यम से रजिस्ट्रार को लिखित में आवेदन करेगा.

(दो) महाविद्यालय को समस्त शोध्यों तथा इन विनियमों के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार अन्य शोध्यों का भुगतान करेगा.

(तीन) जो भी छात्रवृत्ति हो, उसे या यदि महाविद्यालय उसे ऐसा करने के लिये अपेक्षा करे तो महाविद्यालय निधि में उसे चुकाई गई कोई अन्य धनराशि वापस करेगा.

(चार) एक संस्था से दूसरी संस्था को उसके नामांकन के परिवर्तन के लिये परिशिष्ट में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार फीस का भुगतान परिषद् को करेगा.

(2) प्राचार्य अपनी टिप्पणी सहित स्थानांतर के लिये आवेदन पत्र को परिषद् के पास अग्रेषित करेगा. प्राचार्य स्थानांतर प्रमाण पत्र केवल परिषद् के अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही जारी करेगा एवं उसके पश्चात् ही विद्यार्थी सामान्यतः किसी अन्य संबद्ध मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश के लिये पात्र होगा.

21. एक संस्था से दूसरी संस्था में किसी विद्यार्थी के स्थानांतर से तथा ऐसे विषयों से जो उससे संबंधित हैं, उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न के संबंध में जिसके लिये इन विनियमों में, कोई बात विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं है, रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा.

22. जब कोई विद्यार्थी महाविद्यालय या परिषद् की अधिकारिता के भीतर या बाहर गंभीर अपचार का या लगातार आलस्य का या अनुशासन भंग का दोषी पाया जाता है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य, जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, या परिषद् का अध्यक्ष, मामले के स्वरूप, तथा गंभीरता के अनुसार, अपराधी विद्यार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्:—

(क) उसे एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये कक्षाओं में उपस्थित होने से निलंबित कर सकेगा,

(ख) उसे संस्था से निकाल सकेगा,

(ग) एक शैक्षणिक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये उसे निष्कासित कर सकेगा,

(घ) परिषद् की आगामी परीक्षा में उपस्थित होने से उसे निरर्हित कर सकेगा :

परन्तु यथास्थिति प्राचार्य या रजिस्ट्रार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी विद्यार्थी को यदि ऐसे प्राचार्य या रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर या अन्यथा उसे यह विश्वास हो जाये कि विद्यार्थी प्रथम दृष्टया गंभीर अपचार का दोषी है तो विद्यार्थी को सुनवाई का पूर्व अवसर दिये बिना ही तत्काल निलंबित कर सकेगा.

23. ऐसे किसी भी विद्यार्थी को जो इस प्रकार निकाला गया है/या निष्कासित किया गया है, उसके दण्ड की कालावधि के भीतर जिसे यथास्थिति, निकाले जाने या निष्कासित किये जाने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जायगा.

24. निकाले जाने निष्कासनों के समस्त मामलों की, पुष्टि के लिये परिषद् को रिपोर्ट भेजी जायेगी. तथापि, प्राचार्य को यह शक्ति होगी कि, वह किसी विद्यार्थी को, अभिकथित अपचार के संबंध में उसके आचरण की जांच लंबित रहने तक महाविद्यालय से अस्थायी रूप से निलंबित कर दे.

भाग (ग)—होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि-पत्र की स्कीम

25. (1) तीन परीक्षाएं होंगी, अर्थात्:—

(एक) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि-पत्र के पाठ्यक्रम के प्रथम तीन वर्ष के अन्त में होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में प्रथम उपाधिपत्र,

(दो) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि-पत्र पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष के अन्त में होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा परीक्षा में द्वितीय उपाधि पत्र,

(तीन) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र के साढ़े तीन वर्ष के अन्त में होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा परीक्षा (अंतिम) में तृतीय उपाधि पत्र,

(2) वर्ष में दो परीक्षाएं मुख्य तथा अनुपूरक, ऐसी तारीखों, समय तथा स्थान या स्थानों पर ली जायेंगी जैसा कि परिषद् समय-समय पर अवधारित करे.

26. (1) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में प्रथम उपाधि पत्र परीक्षा:—प्रथम शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् होने वाली होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में प्रथम उपाधि पत्र परीक्षा में प्रवेश के लिये वह अभ्यर्थी पात्र होगा, जो किसी संबद्ध मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में संस्था के प्राचार्य/प्रधान के समाधानप्रद रूप में कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष तक नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थित रहा है और जो परिषद् में उक्त महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित हुआ है.

(2) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में द्वितीय उपाधि-पत्र परीक्षा.—ऐसा अभ्यर्थी, जिसने होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में प्रथम उपाधिपत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या राज्य होम्योपैथी परिषद् मध्यप्रदेश की या भूतपूर्व होम्योपैथिक तथा बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति, बोर्ड, मध्यप्रदेश की होम्योपैथी तथा बायोकेमिस्ट्री में उपाधिपत्र परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, और जो संबद्ध मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में संस्था के प्राचार्य प्रधान के समाधानप्रद रूप में एक शैक्षणिक वर्ष (द्वितीय वर्ष) नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थित रहा है, होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधिपत्र के दो वर्ष के अन्त में होने वाली होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में द्वितीय उपाधि-पत्र परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र होगा.

3. होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि पत्र परीक्षा.—ऐसा अभ्यर्थी जिसने होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में द्वितीय उपाधि पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है, और जिसने किसी संबद्ध मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में संस्था के प्राचार्य प्रधान के समाधानप्रदरूप से होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधिपत्र के नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम में 1½ वर्ष की कालावधि तक उपस्थित रहा है, होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि- पत्र परीक्षा (अंतिम) में प्रवेश के लिये पात्र होगा.

स्पष्टीकरण.—इस विनियम के प्रयोजनों के लिये "नियमित अध्ययन पाठ्यक्रमों" से अभिप्रेत है किसी विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष या सत्र में किसी विषय में अलग-अलग दिये गये व्याख्यानों तथा रखे गये प्रैक्टिकल क्लीनिक से कम से कम 75% में उपस्थिति.

परन्तु उपस्थिति की अनियमितता में प्रत्येक विषय में दिये गए व्याख्यानों तथा रखे गये प्रैक्टिकल क्लासेज की कुल संख्या के 20% से अनधिक कमी के लिये लंबी बीमारी या कोई अन्य विधि मान्य कारणों के मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधान की सिफारिश पर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा माफी दी जा सकेगी.

27. (1) होम्योपैथिक चिकित्सा में तथा शल्य चिकित्सा में प्रथम उपाधि पत्र परीक्षा के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से अध्ययन के निम्न लिखित विषयों में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी.

(1) एनाटामी,

(2) फिजियालाजी,

(3) फार्मेसी,

(4) मेटीरिया मेडिका (20 पालीक्रेस्ट औषधियां),

(2) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में द्वितीय उपाधि-पत्र परीक्षा के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से अध्ययन के निम्नलिखित विषयों में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी:—

(एक) पैथालाजी, बैक्टेरियालाजी, तथा पैरासाईटोलाजी

(दो) फारेंसिक मेडिसीन तथा टाक्सीकोलाजी,

(तीन) सामाजिक तथा निवारक चिकित्सा (सोशियल एंड प्रिवेन्टिव मेडीसीन) जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण चिकित्सा है.

(चार) मेटीरिया मेडिका (56 पालीक्रेस्ट औषधियां)

(पांच) आर्गेनन (एफो 70 तक)

(3) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि पत्र परीक्षा के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से निम्नलिखित समस्त विषयों में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी.—

(एक) चिकित्सा व्यवसाय (मानसिक रोग तथा होम्योपैथिक थेराप्युटिक्स को सम्मिलित करते हुये);

(दो) शल्य चिकित्सा (कान, नाक, गला, आंख, दांत के रोग तथा होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स को सम्मिलित करते हुए)

(तीन) शिशुरोग को सम्मिलित करते हुए आब्स्टेट्रिक्स तथा गाईनाकोलाजी,

(चार) मेटीरिया मेडिका (70 औषधियां),

(पांच) आर्गेनन तथा फिलासफी,

(छ:) रिपेर्टरी.

28. (1) प्रत्येक विषय में परीक्षा में लिखित, मौखिक तथा/या प्रायोगिक (क्लिनिकल) परीक्षण होगा. प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र (परीक्षण) के लिये तीन घंटे तथा प्रायोगिक। क्लिनिकल परीक्षण के लिये एक घंटे का समय अनुज्ञात किया जायेगा.

(2) प्रत्येक विषय के लिये उत्तीर्णांक लिखित प्रश्न पत्रों तथा मौखिक और प्रायोगिक के संयुक्त कुल अंकों का 45 प्रतिशत होगा.

(3) किसी विषय में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशिष्टता (सम्मान) अभिप्राप्त किया है घोषित किया जायेगा, परन्तु अभ्यर्थी को परीक्षा में सभी विषयों में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना चाहिये.

(4) परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी:—(1) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में प्रथम उपाधि पत्र परीक्षा.—

अनु.	विषय		लिखित		मौखिक	प्रायोगिक		योग	
			अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	एनाटामी	प्रथम प्रश्न पत्र	100	90	मौखिक ..	100	90	400	180
		द्वितीय प्रश्न पत्र	100		प्रायोगिक ..	100			
2	फिजियालाजी ..	प्रथम प्रश्न पत्र	100	90	मौखिक ..	100	90	400	180
		द्वितीय प्रश्न पत्र	100		प्रायोगिक ..	100			
3	फार्मेसी	प्रथम प्रश्न पत्र	100	45	मौखिक ..	50	45	200	90
					प्रायोगिक ..	50			
4	मेटीरिया मेडिका ..	प्रथम प्रश्न पत्र	100	45		100	45	200	90
			600	270		600	270	1200	540

(2) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में द्वितीय उपाधि पत्र परीक्षा.—

अनुक्रमांक	विषय	लिखित		मौखिक +	प्रायोगिक		योग	
		पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	
1	पैथालाजी	100	45	50 + 50	45	200		90
2	फोरेन्सिक मेडिसिन	100	45	50 + 50	45	200		90
3	सामाजिक तथा निवारक चिकित्सा	100	45	50 + 50	45	200		90
4	मेटेरिया मेडिका	100	45	50 + 50	45	200		90
5	आर्गेनन	100	45	50 + 50	45	200		90
		500	250	250		1000		450

(3) होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि पत्र (अंतिम) परीक्षा.—

अनुक्रमांक	विषय	लिखित			मौखिक + पूर्णांक	प्रायोगिक		योग	
			पूर्णांक	उत्तीर्णांक		पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
1	प्रेक्टिस आफ मेडिसिन ..	प्रथम द्वितीय	100 100	90 100	+ 100	90	400		180
2	शल्य चिकित्सा ..	प्रथम द्वितीय	100 100	90 100	+ 100	90	400		180
3	आब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनो-कोलाजी	प्रथम द्वितीय	100 100	90 100	+ 100	90	400		180
4	मेटीरिया मेडिका ..	प्रथम द्वितीय	100 100	90 100	+ 100	90	400		180
5	आरगेनन तथा फिलासफी	प्रथम द्वितीय	100 100	90 50	+ 50	45	300		135
6	रेपर्टरी		100	45 50	+ 50	45	200		90
			1100	500	500		2100		945

29. इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि परीक्षा में उपस्थित होने वाला कोई परीक्षार्थी दो से अनधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, किन्तु अपेक्षित न्यूनतम संकलित अंकों में [illegible] अंक प्राप्त करता है, तो उस विषय या उन विषयों में, जिसमें या जिनमें वह अनुत्तीर्ण है, पांच अंकों की सीमा तक की माफी दी जा सकेगी.

30. परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, परिषद् सफल अभ्यर्थियों की सूची निम्नलिखित रीति में व्यवस्थित करके प्रकाशित करेगी :—

(क) योग्यता क्रम में प्रथम दस अभ्यर्थियों के नाम, रोल नम्बर, तथा अभिप्राप्त किये गये अंक; और

(ख) अनुक्रमांकानुसार व्यवस्थित अन्य अभ्यर्थियों के रोल नम्बर.

31. होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि-पत्र (अंतिम) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सालय या औषधालय में, संस्था के प्राचार्य या प्रधान के समाधानप्रद रूप में अनिवार्य इन्टर्नशिप के रूप में छः मास का प्रशिक्षण लेना होगा.

32. प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को, विनियम 31 के अधीन कालावधि के इन्टर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात् तथा संस्था के प्राचार्य या प्रधान की सिफारिश पर तथा रु. 25 की फीस का भुगतान करने पर होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि-पत्र इन विनियमों के अधीन विहित प्ररूप में परिषद् द्वारा प्ररूप छः में उपाधि-पत्र प्रदान किया जायेगा.

33. पूरक परीक्षाएं.—ऐसा अभ्यर्थी जो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है उस परीक्षा के उस भाग के विषय या विषयों में जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है पूरक परीक्षा में जो साधारणतः परीक्षा परिणामों के प्रकाशन के छः सप्ताह के पश्चात् रखी जायेगी, परिशिष्ट में इस निमित्त दर्शायी गई फीस का भुगतान करने पर, तथा साथ ही प्ररूप तीन में आवेदन करने पर, प्रवेश दिया जा सकेगा.

34. यदि कोई अभ्यर्थी पूरक परीक्षा में या पश्चात्वर्ती परीक्षा में संबंधित विषय या विषयों में उत्तीर्णांक अभिप्राप्त करता है तो उसे संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायेगा.

35. यदि ऐसा अभ्यर्थी पूरक परीक्षा में संबंधित विषय या विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो वह उस विषय या विषयों में आगामी वार्षिक परीक्षा में, (इन विनियमों के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उसने उस विषय या विषयों में, जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है, आगामी शैक्षणिक वर्ष की कालावधि के लिये आगे के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्राचार्य के समाधानप्रद रूप में उपस्थित रहा है, पेश करने पर सम्मिलित हो सकेगा :

परन्तु परीक्षा के समस्त विषयों का उत्तीर्ण होना चार संभाविताओं (चान्सेस) में पूर्ण किया जायेगा, जिसमें मुख्य तथा अनुपूरक परीक्षा सम्मिलित है, जिनकी गिनती उस तारीख से की जायेगी जब पूर्ण परीक्षा प्रथम बार दी हो.

36. यदि कोई अभ्यर्थी विहित चार संभाविताओं (चान्सेस) में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसे संबंधित परीक्षा के सभी विषयों में शैक्षणिक सत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम महाविद्यालय के प्रधान के समाधानप्रद रूप में फिर से करने के लिये अपेक्षित किया जायेगा और वह सभी विषयों में परीक्षा में बैठेगा।

परन्तु यदि होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि-पत्र परीक्षा में बैठने वाला कोई परीक्षार्थी विहित संभाविताओं (चान्सेस) में से अंतिम संभाविता (चान्स) में केवल एक विषय में उत्तीर्ण होने से रह जाता है, तो उसे उस विशिष्ट विषय में आगामी परीक्षा में बैठने के लिये एक और संभाविता (चान्स) अनुज्ञात की जायेगी और वह इस विशेष संभाविता से अपनी परीक्षा पूरी कर लेगा जिसमें असफल रहने पर उसे होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि-पत्र परीक्षा की पूर्ण परीक्षा में बैठने के लिये अपेक्षित किया जायेगा.

37. परिषद्, उसके द्वारा संचालित एक या अधिक केन्द्रों की परीक्षा असाधारण परिस्थितियों में अपने स्वविवेकानुसार पूर्णतः या भागतः रद्द कर सकेगी और उन विषयों में तथा/या इन केन्द्रों में ऐसे रद्दकरण की तारीख से यथासंभव शीघ्र या जैसा कि मामले का औचित्य प्रतिपादित हो, पुनः परीक्षा संचालित करने की व्यवस्था करेगी.

भाग घ—परीक्षा—सामान्य

38. किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी, रजिस्ट्रार को संबोधित करके विहित प्ररूप तीन में आवेदन-पत्र, उस परीक्षा का तथा उस विषय का, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है कथन करते हुए और उसके साथ परिशिष्ट में इस निमित विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस तथा अंक सूची फीस और आवेदन-पत्र में अपेक्षित किये गये अनुसार अन्य प्रमाण-पत्र दस्तावेजें संलग्न करके, प्राचार्य/संस्था के प्रधान द्वारा इस निमित्त समय-समय पर नियत की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व प्राचार्य/संस्था के प्रधान के पास प्रस्तुत करेगा.

39. (1) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फीस तथा अंक सूची फीस के साथ प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र प्राचार्य/संस्था के प्रधान द्वारा इस प्रकार अग्रेषित किया जायेगा ताकि वह परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाय.

(2) प्रत्येक आवेदन पत्र की बावत महाविद्यालय का प्राचार्य/संस्था का प्रधान प्रमाणित करेगा कि अभ्यर्थी :—

(1) उस परीक्षा में, जिसके लिये वह प्रवेश चाहता है, बैठने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं रखता है,

(2) अच्छे आचरण का है.

40. महाविद्यालय का प्राचार्य या संस्था का प्रधान ऐसे किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकेगा —

(क) जो महाविद्यालय के बकाया शोध्य नहीं चुकाता है; या

(ख) जो महाविद्यालय की वस्तुएं तथा पोशाक नहीं लौटाता है या नुकसान होने की दशा में उनका मूल्य नहीं चुकाता है; या

(ग) जिसने अनुशासनहीनता का गंभीर कार्य किया है जिसके कारण उसे संस्था से निकाला या निष्कासित किया जा सकता है.

41. ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे किसी महाविद्यालय से निकाल दिया गया है, किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

42. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे किसी महाविद्यालय से निष्कासित किया गया है, निष्कासन की कालावधि के दौरान किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे किसी परीक्षा में बैठने से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विवर्जित किया गया है, ऐसी परीक्षा में ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान बैठने नहीं दिया जायेगा.

43. परिषद् द्वारा नियत तारीख के पश्चात् किसी भी तारीख को किन्तु जो ऐसी अंतिम तारीख के पश्चात् पन्द्रह दिन के बाद की न हो किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रार को प्राप्त कोई आवेदन-पत्र ऐसी विलंब फीस का, जो कि इस प्रयोजन के लिये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है, भुगतान करने पर ग्राह्य किया जा सकेगा.

44. इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष विशेष मामलों में, जिनमें उसका यह समाधान हो जाय कि किसी परीक्षा के लिये प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब, अभ्यर्थी की ओर से उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है या यह कि यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो उसे बड़ी कठिनाई होगी, ऐसे आवेदन पत्र को जो विनिर्दिष्ट विलम्ब फीस सहित सभी प्रकार से अन्यथा पूर्ण है, यद्यपि वह विनियम 43 में वर्णित 15 दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् प्राप्त हुआ है, ग्राह्य करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा.

45. (1) इस विनियम के पैरा (2) के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार अभ्यर्थी के पक्ष में विहित प्ररूप में एक प्रवेश पत्र जारी करेगा, यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है और अभ्यर्थी द्वारा विहित फीसें चुका दी गई है.

(2) किसी अभ्यर्थी के पक्ष में जारी किया गया प्रवेश पत्र तथा दी गई अनुज्ञा का किसी भी प्रक्रम में प्रत्याहरण किया जा सकेगा यदि यह पाया जाय कि—

(क) प्रवेश पत्र भूल से जारी किया गया था या अनुज्ञा भूल से दी गई थी या अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं था;

(ख) नामांकन के लिये किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा दी गई विशिष्टियों में से कोई भी विशिष्ट या प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज मिथ्या या गलत है.

(3) रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई प्रवेश पत्र गुम गया है या नष्ट हो गया है, रु. 2 (दो रुपये) की और फीस का भुगतान करने पर प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति दे सकेगा. ऐसे कार्ड के प्रमुख स्थान पर शब्द "दूसरी प्रति" लिखा रहेगा.

46. किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इन्विजिलेटर) के समक्ष प्रवेश पत्र पेश नहीं करता है या ऐसे अधिकारियों का समाधान नहीं कर देता है कि वह पेश कर दिया जायेगा. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र पेश करेगा जब कभी केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इन्विजिलेटर) द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय.

47. (1) कोई अभ्यर्थी जो बीमारी या अन्य कारण से किसी परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है, अपनी फीस का प्रतिदाय प्राप्त नहीं करेगा.

परन्तु अध्यक्ष, ऐसे मामले में, जिसमें उसका यह समाधान हो जाय कि वह कारण अभ्यर्थी के नियंत्रण से परे था, अभ्यर्थी द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस में से फीस के निम्नलिखित भाग का, अध्यधीन आगामी परीक्षा के लिये समायोजन करने के आदेश दे सकेगा, अर्थात् :—

(1) फीस का 25 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् परीक्षा फीस,

(2) अंकों के विवरण के लिये फीस.

अभ्यर्थी द्वारा चुकाई गई अन्य फीस परिषद् को व्ययगत हो जायेगी. ऐसे समायोजन के लिये किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र, बीमारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि लागू होता हो, के साथ भेजा जाना चाहिये ताकि वह रजिस्ट्रार के पास उस परीक्षा के, जिसमें कि अभ्यर्थी को उपस्थित होना था, प्रारंभ होने की तारीख से 10 दिन के पहले और 30 दिन बाद न पहुंचे.

(2) किसी अभ्यर्थी द्वारा, जो उपस्थिति की कमी या आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण परीक्षा में बैठने से विवर्जित किया गया है, चुकाई गई फीस रु. 5 (पांच रुपये) की राशि की कटौती करने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से उसे लौटाई जा सकेगी.

(3) ऐसे अभ्यर्थी की जिसकी परीक्षा में बैठने के पूर्व या परीक्षा लिये जाने की कालावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, परीक्षा फीस तथा अंक सूची फीस उसके अभिभावक या ऐसे अभ्यर्थी के वैधकारियों को पूर्ण रूप से लौटा दी जायेगी.

(4) ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण फीस जिसका कि परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र कूटरचित दस्तावेजों को पेश करने या मिथ्या विशिष्टियां देने के कारण रद्द किया गया है या जो परीक्षा में बैठने से निवर्जित किया गया है या निकाल दिया गया है या रोक दिया गया है, समपहृत हो जायेगी.

48. (1) कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठा है एक या अधिक किन्तु तीन से अनधिक विषयों में लिखित प्रश्न पत्रों में (पेपर्स में) अपने अंकों के पुनर्योग के लिये तथा अपने अंकों की पुनर्जांच के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा. ऐसा आवेदन पत्र, रजिस्ट्रार के पास अंक-सूची की सत्य प्रतिलिपि सहित परीक्षा परिणाम के घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर पहुंचना चाहिये. ऐसे आवेदन के साथ परिशिष्ट में इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होनी चाहिये.

(2) जांच का परिणाम अभ्यर्थी को संसूचित किया जायेगा.

(3) यदि, जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया जाता है कि ऐसा अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किये जाने का हकदार है या उसके अंकों का योग इस प्रकार बढ़ गया है कि वह प्राविण्य सूची में स्थान मिलेगा तो अभ्यर्थी द्वारा पुर्नजांच के लिये जमा की गई फीस मनी आर्डर कमीशन या प्रेषण खर्च काट कर उसे लौटा दी जायेगी.

49. अंकसूची की दूसरी प्रति परिशिष्ट में, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार फीस का भुगतान करने पर जारी की जा सकेगी.

50. होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र की दूसरी प्रति सिवाय ऐसे मामलों के मंजूर नहीं की जायेगी, जिनमें तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य का स्टाम्पित पत्र पर प्रार्थनापत्र पेश करने पर अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि आवेदक

आवेदन पत्र खो गया है या यह कि वह नष्ट हो गया है और आवेदक को उसकी प्रतिलिपि की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में, आवेदन पत्र की दूसरी प्रति, ऐसी फीस जो कि परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है की प्राप्ति पर दी जा सकेगी.

भाग ङ—परीक्षा का संचालन

61. परिषद् का अध्यक्ष परीक्षा का पूर्ण रूप से भारसाधक होगा और वह उसके सीधे अधीक्षण के अधीन आयोजित की जायेगी.

62. परिषद् का रजिस्ट्रार या अन्य कोई व्यक्ति जो परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय, परिषद् के अध्यक्ष के परामर्श से, परीक्षा के संचालन के लिये सभी इन्तजाम करेगा. रजिस्ट्रार/परीक्षा अधिकारी, जब तक परिणाम घोषित न किये जायें, ऐसी प्रत्येक बात में जो कि परीक्षा के संचालन के लिये आवश्यक है, सम्यक् गोपनीयता बनाये रखेगा.

63. (1) परीक्षा अधिकारी जो रजिस्ट्रार नहीं होगा, समस्त गोपनीय अभिलेख रखेगा तथा परीक्षकों, प्रश्न-पत्र निवेदकों (पेपर सेटर्स) की नियुक्ति, प्रश्न पत्रों का मुद्रण तथा मुद्रणालय को भुगतान से संबंधित पत्र व्यवहार-परीक्षा अधिकारी के माध्यम से तथा उसके नाम से किया जायेगा ताकि परिणाम के प्रकाशित होने तक मुद्रणालय के नाम तथा स्थान की गोपनीयता बनाई रखी जा सके और परिणाम घोषित होने तथा प्रकाशित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेख तथा सामग्रियां रजिस्ट्रार को सौंप दी जायेंगी जो उसे सुरक्षित स्थान में रखेगा.

(2) परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा अन्यथा विनिश्चित किये जाने के सिवाय परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं तथा परीक्षार्थियों द्वारा अभिप्राप्त किये गये अंकों से संबंधित दस्तावेजों को सारणीकृत परिणामों को छोड़कर परिणामों की घोषणा की तारीख से 6 मास के पश्चात् रजिस्ट्रार या किसी ऐसी विधिक कार्यवाहियों के प्रस्तुत किये जाने की दशा में, जिसमें परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी जाय, ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाने के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, रजिस्ट्रार द्वारा नष्ट किया जायेगा या अन्यथा व्ययनित किया जायेगा.

64. रजिस्ट्रार, परीक्षा के संचालन के लिये कार्यक्रम तथा वे तारीखें प्रकाशित करेगा जिस तक परीक्षार्थियों से आवेदन पत्र लिये जायेंगे तथा उनके द्वारा फीस चुकाई जायेगी.

65. रजिस्ट्रार/परीक्षा अधिकारी अध्यक्ष के परामर्श से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये केन्द्र अधीक्षक नियुक्त करेगा और जब और जैसी आवश्यकता हो अनुदेश जारी करेगा तथा मार्गदर्शन देगा.

66. प्रत्येक केन्द्र पर, परीक्षा का केन्द्र अधीक्षक, परीक्षा अधिकारी से उचित रूप से मुहरबंद लिफाफों में प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा और वह उसे भेजे गये प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा और परिषद् के कार्यालय को, उपयोग में लाये गये तथा उपयोग में न लाये गये प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा पूरा हिसाब देगा. वह अभ्यर्थियों के बैठने का इन्तजाम करेगा तथा केन्द्र में परीक्षा के निर्विघ्न संचालन के लिये अन्य आवश्यक इन्तजाम भी करेगा.

67. केन्द्र अधीक्षक वीक्षकों (इनविजिलेटर्स) तथा अन्य कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति करेगा, जो ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जैसा कि परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किया जाय. वह वीक्षकों तथा उसके अधीन कार्य करने वाले अन्य कर्मचारीवृन्द के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और परिषद् द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के सर्वथा अनुसार परीक्षाओं का संचालन करेगा.

68. केन्द्र अधीक्षक, जब कभी आवश्यक हो, परीक्षा के संचालन के बारे में गोपनीय रिपोर्ट, उसमें वीक्षकों के काम करने तथा परीक्षार्थियों के सामान्य व्यवहार का उल्लेख करते हुए, रजिस्ट्रार को भेजेगा. वह प्रत्येक दिन परीक्षा में उपस्थित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थितियों के रोल नम्बर, उत्तर पुस्तिकाओं के चालू लेखाओं का दैनिक रिपोर्ट तथा केन्द्र द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी जो कि आवश्यक समझी जाय तथा और कोई बात जिसे वह परिषद् की जानकारी में लाना उचित समझे, भेजेगा.

69. परिषद् प्रत्येक केन्द्र के लिये अग्रिम धनराशि मंजूर कर सकेगी और केन्द्र अधीक्षक, प्राप्त हुई अग्रिम धनराशि तथा परीक्षा के संचालन के संबंध में उपगत किये गये व्यय का विस्तृत लेखा रखने तथा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा.

70. परिषद्, परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उस महाविद्यालय का, जिसका कि वह विद्यार्थी है, विचार किये बिना, किसी भी समय जब वह उचित समझे कोई कारण बताये बिना, परिवर्तित कर सकेगी.

71. (1) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन रहेगा और वह उसके अनुदेशों का पालन करेगा. कोई अभ्यर्थी, अनुशासनहीन होने पर, अनुचित साधन का उपयोग करने पर, या अनुचित साधनों का उपयोग करने का प्रयास करने पर या अशिष्ट होने तथा केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक या किसी अन्य सदस्य या परीक्षा केन्द्र के कर्मचारीवृन्द के साथ दुर्व्यवहार करने पर, केन्द्र अधीक्षक के आदेशों की उसके द्वारा अवज्ञा करने की दशा में, उस दिन की परीक्षा से अपवर्जित किया जा सकेगा और यदि वह अपने कदाचार पर डटा रहता है तो वह केन्द्र अधीक्षक द्वारा शेष परीक्षा से अपवर्जित किया जा सकेगा.

(2) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र की प्रसीमाओं के भीतर कोई हथियार या ऐसी कोई वस्तु जो हमला करने के लिये उपयोग में लाई जा सकेगी/लाता है और या अहिंसात्मक रीति में कार्य करता है या बल का प्रयोग करता है या उसकी प्रसीमाओं में केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक या किसी परीक्षक के प्रति उसकी वैयक्तिक सुरक्षा को खतरे में डालते हुए बल का प्रदर्शन करता है या ऐसी रीति में कार्य करता है जिससे कि प्राधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा पहुंचने की संभावना है तो केन्द्र अधीक्षक अभ्यर्थी को केन्द्र से निकाल सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा या कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो और वह इसके अतिरिक्त पुलिस की सहायता ले सकेगा. इस प्रकार निकाला गया अभ्यर्थी पश्चात्वर्ती प्रश्न पत्रों में बैठने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

(3) प्रत्येक मामले में, जहां केन्द्र अधीक्षक द्वारा खंड (1) या (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, पूर्ण रिपोर्ट परिषद् को भेजी जायेगी और कार्यकारिणी समिति अभ्यर्थी के आचरण या अपचार की गंभीरता पर ध्यान देते हुए उसकी परीक्षा रद्द कर के और या परिषद् की परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में एक या अधिक वर्ष तक बैठने से विवर्जित करने तथा प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध युक्तियुक्त अवसर देने तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आगे और दंडित कर सकेगी.

72. मुहरबंद लिफाफे, जिसमें उस दिन के लिये अंकित प्रश्नपत्र अन्तर्विष्ट हों, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनिट पूर्व खोले जायेंगे और मुहरबंद लिफाफे पर केन्द्र अधीक्षक तथा वीक्षक (इन्विजिलेटर)

द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि मुहरें अक्षुण्ण थीं और उनके सामने बण्डल तोड़ कर खोला गया था हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा समय सहित विनोवित किया जायेगा. केन्द्र अधीक्षक तथा वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित करने से पूर्व अपना समाधान कर लेंगे कि मुहरबन्द लिफाफे में केवल सुसंगत प्रश्न पत्र ही अंतर्विष्ट है.

63. केन्द्र या केन्द्र अधीक्षक का कोई पहचान चिन्ह लिफाफे पर या उत्तर पुस्तिकाओं के किसी स्थान पर नहीं बनाया जायेगा. प्रत्येक दिन प्रश्न पत्र पूरा होने पर, समस्त उत्तर पुस्तिकाओं की यह सुनिश्चित करने के लिये जांच की जायगी और यह सत्यापित किया जायेगा कि परीक्षार्थियों द्वारा आवरण पृष्ठ पर की गई प्रविष्टियां पूर्ण तथा सही हैं और तत्पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं को उचित रूप से मुहरबंद किया जायेगा और पैकेट को मुहरबंद करने की तारीख तथा समय उल्लिखित करते हुए उसके द्वारा तथा एक वीक्षक (इन्विजिलेटर) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा और इस संबंध में परीक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार उसे परीक्षा अधिकारी के पास भेज दिया जायेगा.

64. केन्द्र अधीक्षक का समस्त परीक्षार्थियों के मामले में प्ररूप पर चिपकाये गये उनके फोटोग्राफ की तथा हस्ताक्षरों (जिनमें से एक हस्ताक्षर पहले से ही प्ररूप पर होगा और दूसरा परीक्षा कक्ष में अभिप्राप्त किया जायगा) की जांच करके यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि परीक्षार्थी वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र का प्ररूप भरा है.

65. बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य पर्याप्त कारण से घटित आकस्मिक मामलों के सिवाय किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे के बाद परीक्षा हाल में आने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के भीतर, चाहे किसी प्रयोजन के लिये हो, परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा. वीक्षक (इन्विजिलेटर्स) प्रत्येक दिन समस्त उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर उसे दिये गये एक कागज पर अभिप्राप्त करेंगे और प्रवेश पत्र की जांच करेंगे. वह यह भी सत्यापित करेगा कि प्रत्येक परीक्षार्थी ने, कक्ष छोड़ने के लिये अनुज्ञात किये जाने के पूर्व, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर समुचित स्थानों पर अपेक्षित ब्यौरे सही रूप से प्रविष्ट किये हैं.

66. केन्द्र अधीक्षक, ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध, जो परीक्षा कक्ष में या परीक्षा केन्द्र के परिसरों के भीतर परीक्षा के घंटों के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है या प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है, निम्नलिखित रूप में कार्यवाही करेगा:—

(एक) परीक्षार्थी को उसके कब्जे में पाई गई समस्त आपत्तिजनक सामग्रियां जिनमें उत्तर पुस्तिकायें सम्मिलित हैं, अभ्यर्पित करने की अपेक्षा की जायेगी तथा वीक्षक द्वारा उस पर तारीख तथा समय का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन तैयार किया जायेगा और उन पर अधीक्षक के हस्ताक्षर किये जायेंगे.

(दो) परीक्षार्थी तथा वीक्षक का कथन प्ररूप पांच में अभिलिखित किया जायेगा. परीक्षार्थी द्वारा कथन करने से तथा अनुचित साधन के रूप में उपयोग में लाई गई सामग्रियों को अभ्यर्पित करने से इंकार करने के मामले में, वैसी टिप्पणी अधीक्षक द्वारा दी जायेगी.

(तीन) परीक्षार्थी को एक नई उत्तर पुस्तिका जिस पर "दूसरी प्रति अनुचित साधन का उपयोग करने पर" अंकित होगा, परीक्षा के लिये विहित किये गये शेष समय के भीतर उत्तर लिखने के लिये जारी की जायेगी.

(चार) इस प्रकार संग्रहीत समस्त सामग्रियां तथा परीक्षार्थी के कथन के साथ संपूर्ण साक्ष्य और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उत्तर पुस्तिका एक अलग गोपनीय मुहरबन्द रजिस्ट्रीकृत पैकेट में जिस पर "अनुचित साधन" अंकित होगा, केन्द्र अधीक्षक की टीका-टिप्पणी सहित परीक्षा अधिकारी के पास उसके नाम से अग्रेषित किया जायेगा.

(पांच) परीक्षार्थी से इस प्रकार संग्रहीत सामग्री को दोनों उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात् अनुचित साधन का उपयोग करते समय संग्रह की गई उत्तर पुस्तिका तथा तत्पश्चात् प्रदाय की गई दूसरी उत्तर पुस्तिका के साथ परीक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षक के पास भेजी जायेगी. इसलिये कि दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को अलग-अलग निर्धारित किया जाय तथा रिपोर्ट दी जाय कि संग्रहीत सामग्री की दृष्टि से क्या परीक्षार्थी ने वास्तव में अनुचित साधनों का उपयोग किया है.

(छः) परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग के मामले, जैसा कि केन्द्र अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट किये गये हैं, परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परीक्षा समिति के समक्ष परीक्षण तथा उससे संबंधित विनिश्चय के लिये रखे जायेंगे.

67. परीक्षा में अनुचित साधन तथा अनुशासन भंग के समस्त मामले केन्द्र अधीक्षक द्वारा दैनिक रिपोर्ट में अभिलिखित किये जायेंगे और उपस्थित वीक्षक (इन्विजिलेटर) द्वारा उन पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये जायेंगे.

68. रजिस्ट्रार, केन्द्र अधीक्षक की सिफारिश पर ऐसे परीक्षार्थी की ओर से जो अंधेपन, क्षीण दृष्टि या आकस्मिक रुग्णता के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ हैं, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित श्रुतलेखन लिखने के लिये एक अनुलेखक (एमान्यूसिस) की नियुक्ति कर सकेगा:

परन्तु ऐसा अनुलेखक परीक्षार्थी से निम्न स्तर अर्हता का तथा गैर चिकित्सक व्यक्ति होगा.

69. परिषद् यह देखने के लिये कि परीक्षा का संचालन नियमों तथा अधिकथित प्रक्रियाओं के सर्वथा अनुसार हो रहा है, निरीक्षण या निरीक्षकों के बोर्ड की, समय-समय पर नियुक्ति कर सकेगी. निरीक्षक द्वारा नियमों या प्रक्रियाओं का गंभीर रूप से भंग किया जाना बताने की दशा में, अध्यक्ष, केन्द्र में परीक्षा का पूर्णतः या भागतः मुल्तवी किया जाना या रद्दकरण को सम्मिलित करते हुए ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो आवश्यक हो और यदि ऐसी कोई कारवाई की जाती है तो की गई कार्यवाही की कारणों सहित रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति को उसकी आगामी बैठक में की जायगी.

70. कार्यकारिणी समिति किसी परीक्षा केन्द्रों को रद्द कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग हो गई है या ऐसी कोई गंभीर प्रकार की अनियमितता हुई है, जो ऐसे कदम के लिये समुचित आधार है.

71. परिषद् एक परीक्षा समिति नियुक्त कर सकेगी, जो—

(एक) प्रश्न पत्र निर्माताओं (पेपर सेटर्स), परीक्षकों, वाह्य तथा आंतरिक प्रायोगिक परीक्षकों की नामावलियों तथा सूचियों का अनुमोदन करेगी.

[illegible]

[illegible] दुराचार के मामलों की जांच करेगी तथा विनिश्चय [illegible]

(चार) परीक्षा के संचालन के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करेगी जो कि उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें.

72. अध्यक्ष सारिणीकारों (टेबुलेटर्स) तथा समाकलन करने वालों और/या ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो कि परिणाम [illegible] तैयार करने के लिये आवश्यक हों. अध्यक्ष और/या परीक्षा समिति परीक्षकों, प्रश्न-पत्र निर्देशकों (सेटर्स), केन्द्र अधीक्षक, सारिणीकारों (टेबुलेटर्स), समाकलन करने वालों के मार्गदर्शन के लिये ऐसे [illegible] अनुदेश जारी करेगी जैसा कि उनके कर्त्तव्यों के उचित पालन के लिये तथा परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिये [illegible].

73. परीक्षा समिति परीक्षा के संचालन तथा परीक्षा की तैयारी के बारे में नियमों तथा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन या रूपान्तरण करने के लिये, समय-समय पर सुझाव दे सकेगा.

74. यदि अभ्यर्थी को उसकी परीक्षा के प्रश्न-पत्र के विषय में कोई संसूचना करना है तो रजिस्ट्रार को लिखित में सीधे की जायेगी जो, यदि आवश्यक हो, तो अपनी टिप्पणियों सहित आवेदन पत्र को परिणाम समिति के समक्ष विचार के लिये रखेगा.

75. परिषद प्रत्येक परीक्षा के लिये एक परिणाम समिति गठित करेगी जिसके कृत्य निम्नानुसार होंगे :—

(एक) परीक्षा के परिणाम की संवीक्षा करना तथा [illegible] समाधान करने के पश्चात् कि पूर्णरूपेण परिणाम तथा विभिन्न विषयों में परिणाम सामान्य स्तरमान के अनुरूप है, उसे पारित करना,

(दो) प्रश्न पत्रों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना,

(तीन) ऐसे अभ्यर्थियों के, जिनकी उत्तर पुस्तिकायें अभिवहन में गुम गई होंगी, मामलों का विनिश्चय करना,

(चार) यदि किसी परीक्षा केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इन्विजिलेटर) के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना है तो परिषद् को वैसी रिपोर्ट देना,

(पांच) ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करना, जैसा कि परिषद् समय-समय पर उसे सौंपे.

76. परिणाम समिति द्वारा यथापारित परिणाम रजिस्ट्रार द्वारा घोषित किया जायेगा और वह परिषद की सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा तथा साथ ही संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को संसूचित किया जायेगा.

77. परिणाम समिति को किसी केन्द्र के किसी अभ्यर्थी का परिणाम ऐसे कारण से या ऐसे कारणों से, जो कि ऐसी कार्रवाई करने के लिये समुचित आधार हों, रोकने की शक्ति होगी. इस प्रकार रोका गया परिणाम तब घोषित किया जा सकेगा जब वे कारण या आपत्तियां,

[illegible]

78. [illegible] और प्रत्येक [illegible] जा [illegible].

79. प्रश्न पत्र निर्देशकों (पेपर सेटर्स), परीक्षकों, अधीक्षकों, वीक्षकों (इन्विजिलेटर्स), सारिणीकारों (टेबुलेटर्स) तथा समाकलन करने वालों के पारिश्रमिक तथा अपेक्षित मूल्यों के लिये पारिश्रमिक में कटौतियां ऐसी होंगी जैसी कि परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय.

80. (1) [illegible] के बारे में [illegible] होने के बारे में उद्भूत होने वाली किसी भी शंका के संबंध में तथा कोई ऐसा अन्य मामलों [illegible] विनियमों में अधीन विशिष्टतः कोई उपबंध नहीं किया गया है परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा.

(2) परिषद् को इन विनियमों से संलग्न प्ररूपों को पुनरीक्षित करने तथा उनमें कोई ऐसे परिवर्धन तथा परिवर्तन करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे.

भाग [illegible]—पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रम

81. होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि [illegible] के लिये पाठ्यक्रम [illegible] निम्नलिखित होगा—

होम्योपैथिक [illegible] तथा [illegible] चिकित्सा [illegible]

उपाधिकाल परीक्षा

(1) शरीर रचना (एनाटामी).—मानव शरीर रचना का पूर्ण पाठ्यक्रम तथा मानव शरीर के शरीर रचना संबंधी भिन्न-भिन्न भाग का सामान्य कार्यकारी ज्ञान, विसेरा, मांस पेशियों (मसल्स) ब्लड व्हेसलस नर्वस् तथा लिम्फेटिक्स की सामान्य शरीर रचना संबंधी स्थितियां तैयार किये गये विच्छेदित (डिसेक्टेड) नमूनों के माध्यम से प्रदर्शन रिजनल तथा सरफेस एनाटामी सरफेस मार्किंग्स तथा सामान्य विषयों के रेडियोग्राफ.

प्रायोगिक.—जहां कहीं संभव हो मानव शरीर के विच्छेदन के पाठ्यक्रम का इन्तजाम किया जा सकेगा. विच्छेदन का भार शरीर के विच्छेदित भागों का प्रदर्शन कर के महत्वपूर्ण व्हिसेरा, आर्टरीज, नर्वों, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण चिकित्सीय क्षेत्र, शरीर के निशानों का प्रदर्शन कर के कम किया जा सकता है.

प्रश्न पत्र क्रमांक 1.—उर्ध्व देह शाखा (अपर एक्स्ट्रीमिटी) सिर, चेहरा, गला तथा मस्तिष्क.

प्रश्न पत्र क्रमांक 2.—अधो देह शाखा (लोअर एक्स्ट्रीमिटी) थोरेक्स, एब्डोमेन तथा पेल्विस.

(2) शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियालाजी).—फिजियालाजी में सामान्य सिद्धांतों तथा तथ्यों में अंतर्ग्रस्त व्याख्यानों का पाठ्यक्रम.

प्रश्न-पत्र 1.—हिस्टोलाजी, ब्लड तथा लिम्फ, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेटिक्युलोएन्डोथडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन, (रेस्पीरेटरी सिस्टम) यूरिनरी सिस्टम, चर्म, शरीर का नियमन, तथा रेस्प्रागेन्स नर्व मसल फिजियालाजी.

प्रश्न-पत्र 2.—एन्डोक्रिन आर्गन्स, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबोलिज्म, एन्जाइम्स, न्यूट्रीशन्स.

प्रायोगिक.—(1) टिशू तथा आर्गन्स, बोन्स, कार्टिलेज, फाईब्रोस टिशू, सेलूलर टिशू, वेन्स आर्टरीज लिवर, लंग, एपेन्डिक्स, फेलोपियन ट्यूब के हिस्टोलाजिक नमूनों की पहचान, स्पाइनल नर्व, लिम्फ ग्लान्ड, स्प्लीन, किडनी का क्रास सेक्शन.

(2) ब्लड फिल्म्स के स्टेनिंग की तैयारी ब्लड सेल्स की कुल तथा अन्तर (डिफरेंशियल) गणना.

(3) हेमोग्लोबिनो मीटर तथा स्फिग्मोमानोमीटर का उपयोग ... विधि ... में कुछ प्रयोगों का प्रदर्शन.

(4) मूत्र (यूरिन) के सामान्य नार्मल तथा एबनार्मल कन्स्टिट्यूएन्ट्स की रासायनिक जांच.

(3) ... फार्मेसी, विस्तार, ... तथा ... पौधों ... तथा खनिज औषधियों के स्रोत, ड्रग ... , ... के तरीके (मदर टिंक्चर्स ... , ... तथा ट्रिटुरेशन्स) फ्लूइडिक ... पोटेन्सी, ट्रिटुरेशन की तरल रूप में परिवर्तन ... एलीमेन्ट्स.

प्रिस्क्रिप्शन, उसकी ... तथा विधि मान्यता, फोरेन्सिकोलाजी, औषधियों (ड्रग्स) तथा वेहिकिल्स का मानकीकरण, फार्मेसी विज्ञान, प्रयोगशाला के सामान्य तरीके, जैसे महत्वपूर्ण औषधि (ड्रग्स) पदार्थों के (बायोलर्जीकल)/ तकनीकी (मेकेनिकल) तथा / या रसायनिक (केमिकल) लक्षण. होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग.

प्रायोगिक.—औषध निर्माण के साधित्रों तथा उपकरणों की पहचान तथा उनकी सफाई, पालीक्रेस्ट्स (ड्रग्स) की पहचान, 3—एक्स पोटेन्सी तक औषध पदार्थ तथा ट्रिटुरेशन का सूक्ष्म अध्ययन, नक्श का प्राक्कलन, शुद्धता तथा गुरुत्व परीक्षण, ग्लोबुल्स, उसका आकार तथा औषधीकरण.

डायलूट अल्कोहलिक सोल्यूशन्स तथा डिल्यूशन्स तैयार करना और औषधि बनाना (डिस्पेंसिंग), मदर टिंक्चर तैयार करना, ट्रिटुरेशन, पोटेन्टिसेशन बाह्य प्रयुक्ति हेतु तैयार करना (प्रिपरेशन) आफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रिस्क्रिप्शन लिखना तथा उसकी औषधि बनाना. प्रयोगशाला पद्धतियां.

(4) मेटीरिया मेडिका तथा फिलासफी:—

1. एकोनाईट नैप
2. एलीयमसीपा
3. आर्निका मोन्टेना
4. बेलाडोना
5. बोरेक्स
6. ब्रायोनिया
7. कैलेन्डुला
8. कास्टीकम
9. चाइना
10. कोलोसिन्थ
11. ड्रासेरा
12. फेरमफेट
13. जेलसीमियम
14. कालीमूर
15. कालीफास
16. मेग्नीशिया फास
17. नुक्सवोमिका
18. फासफोरस
19. रस टाक्स
20. सालिसा

फिलासफी.—सामान्यतः चिकित्सा के तथा विशेषतः होम्योपैथी के इतिहास के बारे में तथा डा. हैनिमन के जीवन के बारे में विहंगावलोकन स्वास्थ्य तथा रोग की धारणा के संबंध में डा. हैनिमन का योगदान और मनुष्य का पूर्ण अध्ययन—दोनों में—स्वास्थ्य तथा रोग में, होम्योपैथिक फिलासफी की रूपरेखा तथा होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका का लगभग 10 से 15 तक सामान्य रूप से उपयोग में आनेवाली औषधियों के कुल औषधियों (ड्रग) के चित्रोंद्वारा निदर्श चित्रों (इलस्ट्रेशन्स) सहित परिचय. देश का परिवार कल्याण कार्यक्रम साईकालाजी तथा लाजिक का प्रारंभिक ज्ञान.

होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में द्वितीय उपाधि-पत्र परीक्षा

पैथालाजी, बैक्टीरियालाजी तथा पेरासाइटोलाजी.—सैद्धांतिक.—पैथालाजी में केवल स्थूल बुनियादी प्रशिक्षण, जो विशेषज्ञ अभिरुचि से मुक्त हो, विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिये. पूर्ण होम्योपैथिक चिकित्सक के लिये बैक्टीरियालाजी तथा पैथालाजी का ज्ञान भी आवश्यक है. वह थेराप्यूटिक्स जैसे रोग निदान (डायग्नोसिस), प्रोग्नोसिस रोग का निवारण आदि अन्य प्रयोजनों के लिये तथा सामान्य प्रबन्ध.

सामान्य पैथालाजी.—परिचय, विस्तार, पुरानी (एलोपैथिक) तथा नवीन शाखा होम्योपैथिक दृष्टिकोण. स्वास्थ्य तथा रोग; रोगों की इटियोलाजी, इन्फेक्शन, डेफिनिट एडाप्शन, इन्फ्लेमेशन.

रक्तपरिचालन की गड़बड़ियां, रक्त के रोग हाइपरीमिया, थ्राम्बोसिस तथा इम्बोलिज्म जिसमें संक्रमण (इन्फेक्शन), आईडिमा, ज्वर, रेजिनेरेटिव टिशू परिवर्तन, हाइपर ट्राफी तथा हाइपर प्लासिया सम्मिलित है. अपचारक प्रक्रिया (हीलिंग प्रोसेस), विशेष संरचनाओं का उपचार (हीलिंग आफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स). डिजनरेटिव टिशू परिवर्तन, प्रोलीफरेटिव टिशू परिवर्तन, रक्त के रोगों के संबंध में इम्यूनिटी स्पेशल पैथालाजी, पर्नीसियस-एनेमिया, एप्लास्टिक एनेमिया, क्लोरोसिस, ल्यूकेमिया पर सामान्य विचार. रक्त परिवहन तंत्र के रोग पैरीकाडीटिस. एओर्टिटिस एन्डरिज्म मेनिनजाइटिस. रेस्पीरेटरी सिस्टम के रोग, किडनी एलीमेंटरी-ट्रेक्ट सीरोसिस आफ लिवर. अज्ञात कारणता के रोग.

बैक्टीरियालाजी.—माइक्रो आर्गेनिज्म के मारफोलाजी, बायोलाजी तथा पैथोजेनिक गुण.

[illegible]टालाजी.---[illegible] के [illegible] [illegible] तथा पैथोजेनिक गुण, [illegible], डिप्थीरिया, [illegible] बेसिलाई, सिफलिस के स्पीरोकीटा [illegible], बेसिला डिप्रेशन, चूहा काटने से ज्वर, एक्टिनो [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] वेनेक्रोवटी.

वाइरस.---स्मालपाक्स, चिकन पाक्स, मीजल्स, सामान्य जुकाम, हार्प्सजोस्टर, एक्यूट एन्टीरियर पोलियो माईलाईटिस, इन्फ्लुजा, इन्सेफेलिइटिस, लेथरजिका, इपिडेमिकल इन्फेक्टिव हैपाटाइटिस, प्राथमिक तथा टिपिकल न्यूमोनिया.

प्रायोगिक.---1. टिशू तथा आर्गन का हिस्टोपैथलाजिकल अध्ययन.

2. पेथेजेनिक आर्गेनिज्मस् के माइक्रोसकोपिक नमूने.

3. मोर्बिड सामग्रियों रक्त, मूत्र, पीव, थूक, एक्सूडेट्स का संग्रहण, तैयारी तथा परीक्षण.

1. फोरेन्सिक मेडिसिन तथा टाक्सीकोलाजी.---विधिक प्रक्रियायें मेडिकल जूरिसप्रडेन्स, न्यायालय तथा उनकी अधिकारिता.. मेडिकल एथिक्स तथा विभिन्न अधिनियम, जीवित तथा मृत व्यक्तियों, शरीर के भागों हड्डियों, धब्बों आदि की परीक्षा तथा पहचान. डेथ मेडिकोलीगल, शव परीक्षण.

हमला, घाव, क्षति तथा हिंसा व्दारा मृत्यु, खून के धब्बे सेमिनल के धब्बे, जलना, स्काल्ड्स, लाइटेनिंग, स्ट्रोक भूख, गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात, शिशुहत्या, मैथुन अपराध, उन्मत्ततर टाक्सीकोलाजी, सामान्य जहर, लक्षण, उपचार, शव परीक्षा से आभास तथा परीक्षण.

2. मेडिको लीगल शव परीक्षण (पोस्ट मार्टम).---शव परीक्षण आभास अभिलिखित करना, रासायनिक परीक्षकों के पास सामग्री अग्रेषित करना, प्रयोगशाला तथा रासायनिक परीक्षकों के निष्कर्षों का निर्वाचन करना, हथियार, आर्गेनिक इनआर्गेनिक जहरीले पदार्थ जहरीले पौधे, चिकित्सा विधि अभिरुचि के चार्ट, आरेख, प्रतिरूप (माडेल्स), एक्सरे फिल्म आदि का प्रदर्शन. हथियार, आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक जहर, जहरीले पौधे.

3. निवारक तथा सामाजिक चिकित्सा (स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार नियोजन).---(1) फिजियालांजिकल हाइजिन---भोजन तथा पोषण, वायु, प्रकाश तथा सूर्य का प्रकाश, जलवायु का प्रभाव, वैयक्तिक आरोग्य.

(2) पर्यावरिक स्वच्छता---(क) परिभाषायें तथा महत्व.

(ख) वातावरण प्रदूषण, वायु शुद्धीकरण, वायु से होने वाले रोग, वायु स्टेरिलाइजेशन

(ग) जल प्रदाय, जल के स्त्रोत तथा उपयोग, जल से होने वाले रोग, अशुद्धता तथा शुद्धीकरण, सार्वजनिक जल प्रदाय.

(घ) सफाई.

(ङ) मेलों तथा उत्सवों में स्वच्छता.

(च) डिसइन्फेक्शन तथा स्टेरिलाइजेशन.

(3) निवारक चिकित्सा---छूत के रोगों का निवारण तथा नियंत्रण, सामान्य रोग, प्रोफलेक्सिस तथा टीका लगाने के संबंध में होम्योपैथिक दृष्टिकोण, रोगों का प्राकृतिक इतिहास.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], शाल, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], डेमोग्राफी.

4. होम्योपैथिक फार्मेसी प्रैक्टिकल.---(1) फार्मेसी [illegible] का प्रयुक्ति बाह्य रोगी कक्ष तथा चिकित्सालय के वार्डों के पास्कों से प्रदर्शित की जानी चाहिये.

(2) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका [illegible] [illegible] तथा विस्तार, स्त्रोत, अध्ययन के तरीके.

(3) औषधि (ड्रग), उसका सामान्य नाम, प्राकृतिक क्रम प्रयुक्त हैबिटैट भाग, तैयार करना, ड्रग प्रूविंग के स्त्रोत, [illegible] लक्षण तथा माडेलिटीज, [illegible], कम्प्लीमेंट्री, इनिमिकल, [illegible] तथा कानकोर्डेंट, उपचार तथा थेरोप्यूटिक प्रयुक्तियां.

(4) शुशलर के चिकित्सा की बायोकेमिक पद्धति के अनुसार 12 टिशू उपचार का अध्ययन.

औषधियों की सूची:---

(1) एब्रोटेनम
(2) एसकुलस हिप
(3) हेलुसाजिन
(4) एलीस सेक
(5) अलुमिना
(6) एन्टीमोनियम
(7) अमोनियम कार्ब
(8) एन्टीमोनियम टार्ट
(9) एपिस मेलिफिका
(10) अर्जेन्टम मेट
(11) अर्जेन्टम निट
(12) आर्सेनिकम अल्ब
(13) आरम मेट
(14) एरम ड्रिफ
(15) बेप्टीसिया
(16) बेराटा कार्ब
(17) बेरेरिफ वलगेरिस
(18) केलकेरिया कार्ब
(19) केलकेरिया फ्लोर
(20) केलकेरिया फास
(21) केलकेरिया सल्फ
(22) कार्बोवेज
(23) केमोमिला
(24) चाइना
(25) कोल चोकाइटम
(26) ड्रोसेरा
(27) यूफेशिया
(28) फेरम फास
(29) ग्रेफाइटिस
(30) हेपर सल्फ
(31) हेलेबोरस
(32) हाइयासियामस
(33) इगनेशिया
(34) हायपेरिकम
(35) इपीकाक
(36) काली बिच

(37) काली कार्ब
(38) काली सर्फ
(39) लेकेसिस
(40) लेडम पाल
(41) लाइकोपोडियम
(42) मरक्यूरिस कोर
(43) मरक्यूरियम सेल
(44) नेट्रम मूल
(45) नेट्रम फास
(46) नेट्रम सल्फ
(47) नैट्रिक एसिड
(48) प्लेटिना
(49) पोडोफिलइम
(50) पल्साटिला
(51) सेकाल कार
(52) सेपिया
(53) साइलेसिया
(54) सल्फर
(55) थुजा
(56) व्हेराट्रम अल्ब

5. आर्गेनन तथा होम्योपैथिक फिलासफी के सिद्धांत.—डा. हैनिमन का आर्गेनन ऑफ मेडिसिन तार्किक सिद्धान्तों की विवक्षा जिसके द्वारा होम्योपैथी की रूपरेखा बनी तथा बनाई गई और जिसके द्वारा होम्योपैथी चिकित्सक को अपने मामले में कार्य करना पड़ता है और प्रत्येक ठोस वैयक्तिक मामले में उपचार करने की सुविधाएं.

होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में तृतीय उपाधि-पत्र परीक्षा

1. चिकित्सा व्यवसायी :—

प्रश्न-पत्र क्र. 1—सांक्रमिक रोग, एन्डोएरिन्स सिस्टम की गड़बड़ी, मेटाबोलिज्म के रोग, कमियों के रोग, रक्त, स्लीन तथा लिम्फ ग्लेन्ड्स के रोग तथा ट्रापीकल रोग, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स.

प्रश्न-पत्र क्र. 2—लोको मोटर सिस्टम के रोग, नर्वस सिस्टम के रोग, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के रोग, यूरीनरी तथा जेनेटिक सिस्टम के रोग, सामान्य चर्म रोग, बच्चों के रोग, होम्योपैथिक थेराप्युटिक्स.

2. शल्य चिकित्सा.—होम्योपैथी में आंतरिक चिकित्सा में बहुत सी दशाएं होने के कारण पश्चात् कथित की परिधि अधिक विस्तृत है और शल्य चिकित्सा का विस्तार उस सीमा तक सीमित है. किन्तु चिकित्सा के अनुपूरक के रूप में शल्य चिकित्सा का होम्योपैथी में एक निश्चित स्थान है और वह तदनुसार पढ़ाई जानी चाहिये.

प्रश्न-पत्र क्र. एक.—इनफ्लेमेशन, विनिर्दिष्ट तथा अविनिर्दिष्ट संक्रमण (इन्फेक्शन), हेमरेज शाक, जलने के घाव, अलसर तथा गेंमति, ट्यूमर तथा आइस्ट्स, क्षति तथा नर्वस मसल्स के रोग, टेन्डेन्स तथा बोन्स, लिम्फ तथा वेसकुलर सिस्टम जिसमें स्लीन सम्मिलित है.

सिर तथा गले की शल्य चिकित्सा जिसमें थाईराईड, ब्रेस्ट तथा कांजेनिटल एनामलीज की शल्य चिकित्सा सम्मिलित है. एब्डोमिनल शल्य चिकित्सा जिसमें गेस्ट्रो इन्टेस्टीनल सिस्टम सम्मिलित है. हड्डी तथा जोड़ों की शल्य चिकित्सा. स्पाइन [illegible] तथा [illegible] (शि. उ.), के मंच विकार (डिसार्डर्स), [illegible] शल्य चिकित्सा, जनिटी यूरीनरी शल्य चिकित्सा, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स.

प्रश्न-पत्र क्र. दो—ओटोर्होनोलारीगोलाजी, रतिज रोग (व्हेनेरियल डिसीजेस), नेत्र चिकित्सा शास्त्र (आप्थेलमोलाजी), दंत चिकित्सा तथा होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स तथा होम्योपैथी में शल्य चिकित्सा की व्याप्ति (स्कोप).

3. आब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलाजी:—

प्रश्न-पत्र क्र. एक—आब्स्टेट्रिक्स तथा पेडियाट्रिक्स—प्यूबर्टी मेन्स्टुअल साइकिल का सामान्य शरीर क्रिया शास्त्र (फिजियालाजी) सामान्य तथा असमान्य गर्भाधान. सामान्य प्रसव, असामान्य प्रेजेन्टेशन, प्यूरपेरियम, नव प्रसूत शिशु, गर्भपात का प्रबेशण, प्रसूति का प्रबेशण, फोरसेप्स, इपिसियोटोमी वर्सन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स.

प्रश्न-पत्र. क्र. दो—गाइनोकोलाजी—जैनिटल आर्गेन्स की एनाटोमी, फिजियालाजी तथा मेन्स्टुएशन की एन्डोक्रिनोलाजी, मेनापाज तथा प्युबर्टी. मेन्स्टुएल विषमतायें, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, मेनोरागिस, मेट्रोपेथि का होमोरेजिया, ल्यूकोरिया, वाह्य जेनिटल आर्गेन्स के रोग, व्लवाइटिस, वेथेलनाइटिस, वल्वा का अल्सर, प्रूरिट्स, वल्वा का ट्यूमर व्हेनेरल डिजीजेस, व्हेजिना के रोग, व्हेजिनाइटिस, वेजीना के ट्यूमर सेरोवेक्स, सेरविसाइटिस, डिस्प्लेसमेंट, इन्फ्लेमेशन फाइब्रायडस, केरसीन्युम, यूटेरस, फ्लोपिन ट्यूब, इन्फ्लेमेशन पेल्विक बेरी टोनाइटिस, पेल्विक सेलुटाइटिस ओवरी इन्फ्लेमेशन ट्यूमर, स्टालिटी, गाइनेकोलाजीकल आपरेशन यूटेरस का डिलाटेशन तथा क्युरेटिंग, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स

4. मेटेरिया मेडिका—

औषधियों की सूची:—

(1) एसेटिक एसिड
(2) एक्टास पेसेमोसा
(3) एगारिकस मूस
(4) एकनस कास्टम
(5) एम्बाग्रीसिया
(6) एनाकार्डियम
(7) अर्सेनिकम आयेड
(8) विस्मुथम
(9) वोविस्टा
(10) केक्टस जी
(11) केलकेरिया आर्स
(12) केम्फोरा
(13) केनासि इलेटिवा
(14) केयारिस
(15) केप्सिकम
(16) कार्बोलिक एसिड
(17) केसिनोसिया
(18) कालग्रोफीलम
(19) सेलीडीनियन
(20) साइकुटा विरोसा
(21) कोकुलस इन्ड

(22) कोनियम
(23) क्रोकुसस टिंग
(24) कोटालसहोर
(25) कोटन टिग
(26) क्यूप्रम आर्स
(27) क्यूप्रम मेठ
(28) डिजिटेलिस
(29) इम्बिनासिया
(30) श्यूपेटोरम परफोल
(31) फ्लोरिक एसिड
(32) ग्लोनाइन
(33) हेमेमेलिसविर
(34) हाइड्रास्टम
(35) आइडियम
(36) क्रेयोसोटम
(37) लेक केनम
(38) लिलियम टिग
(39) मेग्नेशिया कार्ब
(40) मेडोरिनियम
(41) मेजेरियम
(42) मोसकस
(43) म्यूरेक्स
(44) म्यूरियटिक एसिड
(45) नेट्रम कार्ब
(46) नक्स मोसाटा
(47) ओपियम
(48) पेट्रोलियम
(49) फासफोरिक एसिड
(50) प्लुवम
(51) सोरिनम
(52) पाइरोजिनियम
(53) रेनकुलस वल्व
(54) रोडोडेन्ड्रम
(55) यूमेक्स
(56) रुटा
(57) सवीना
(58) सेम्बुकस
(59) मेन्गइनारिया
(60) मारगिरीला
(61) सिगेलिया
(62) स्टेनम मेट
(63) स्टेफीसाग्रिया
(64) एट्रामोनियम
(65) सिफिलिनम
(66) ट्यूवरक्यूलिनम
(67) वेरियोलिनम
(68) वेराट्रम वीर
(69) जिनोम मेर

5. आर्गेनन तथा फिलासफी—डा. हैनिमन का आर्गेनन पांचवां तथा छठा संस्करण, एफोरिज्म 1 से 294 ज्यूस का प्रस्तावना अध्याय. होम्योपैथी के सिद्धान्त तथा व्यवसाय. होम्योपैथिक फिलासफी (क) होम्योपैथिक फिलासफी पर केन्ट के व्याख्यान (ख) हाम्योपैथिक फिलासफी पर स्टुअर्ट के व्याख्यान तथा निबन्ध. [विषय (जेन्यूस) होम्योपैथी है] (ग) रावर्ट द्वारा लिखित आर्ट आफ क्योर बाई होम्योपैथी. (घ) साईन्स आफ थेराप्यूटिक्स (डनहम), डा. हैनिमन द्वारा लिखित हिस्ट्री आफ होम्यापैथिक मेडिसिन, क्रानिक डिजीजेस.

प्रश्न पत्र क्रमांक एक.—आर्गेनन एफारिज्म 1 से 294 की प्रस्तावना.

दो.—होम्योपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथिक फिलासफी तथा क्रानिक डिजीजेस का इतिहास.

प्रायोगिक.—मियासमेटिक डायगनोसिस के साथ लेते हुए एक मामला.

6. होम्योपैथिक रेपटरी.—क्रानिक मामला लेने की कठिनाईयों को लेते हुए किसी मामला पर प्रदर्शन सहित सैद्धान्तिक व्याख्यान, अभिलेख रखने की उपयोगिता तथा अभिलेखन, सिम्पटम्प की टोटेलिटी ऐसे सिम्पटम्स जिनसे तत्काल दवा लिखी जा सकती है, असामान्य, विचित्र तथा लाक्षणिक सिम्पट्म्स, साधारण तथा विशिष्ट सिम्पट्म, इलिमिनेटिंग सिम्पट्म्स, सामान्य तथा असामान्यसिम्पम्टस का विश्लेषण, सिम्पटेम्स का ग्रेडेशन तथा इव्हेलुएशन मेन्टल सिम्पट्म्स का महत्व, सामान्य सिम्पटम्स के प्रकार तथा स्त्रोत, कानकोम्मिटेंट सिम्पटम्स, रिपटरीज का इतिहास तथा प्रकार, केन्ट की रिपर्टरी पर प्रायोगिक 16 लघु समय के मामले, 10 क्रानिक (केन्ट पर लम्बे समय के मामले तथा 5 मामले की अंतर जांच की जायेगी).

(टिप्पण—केवल एक प्रश्न पत्र)

व्याख्यानों की स्कीम:—प्रत्येक विषय में व्याख्यान तथा प्रदर्शन/प्रायोगिक/क्लिनिक्स क्लासेस की प्रयोग के रूप में संख्या.—

अनुक्रमांक	विषय	सैद्धान्तिक	प्रदर्शन/प्रायोगिक/ट्यूटोरियल/विच्छेदन/क्लिनिक्स
(1)	(2)	(3)	(4)
	प्रथम डी. एच. एम. एस. परीक्षा.—		
1	एनाटोमी	150	300 (विच्छेदन को सम्मिलित करते हुए)
2	फिजियालाजी	150	150
3	फार्मेसी	30	60
4	मेटेरिया मेडिका प्रस्तावना व्याख्यान जिसमें होम्योपैथिक फिलासफी सम्मिलित है.	150	

(1)	(2)	(3)	(4)
द्वितीय डी. एच. एम. एस. परीक्षा:—			
1	पैथालाजी, बैक्टीरियालाजी तथा पैरासाइटोलाजी	100	100
2	फारेन्सिक मेडिसन तथा टाक्सीकोलाजी	60	20
3	निवारक तथा सामाजिक चिकित्सा	100	50
4	मेटेरिया मेडिका	100	..
5	आर्गेनन तथा फिलासफी	75	..
तृतीय डी. एच. एम. एस. परीक्षा (1½ वर्ष):—			
1	चिकित्सा व्यवसाय	200	200
2	शल्य चिकित्सा	150	100
3	आब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनेकोलाजी	150	100
4	मेटेरिया मेडिका	200	200
5	आर्गेनन तथा फिलासफी	125	100
6	रेपर्टरी	75	75

टिप्पणी.—प्रत्येक वर्ष में अभिप्राप्त न्यूनतम अध्यापन घंटे 1100-1200 है, जबकि उपरोक्तानुसार प्रति वर्ष विहित घंटे बहुत कम हैं, इसलिये शेष घंटों का अध्यापन कार्यक्रम के लिये पूर्णतः उपयोग करना चाहिये.

परिशिष्ट

(विनियम 6 तथा 12)

परिषद् को देय फीस

अनुक्रमांक (1)	विशिष्टियां (2)	फीस की दर (3)	विनियम क्रमांक (4)
1	प्रथम डी. एच. एम. एस. परीक्षा	100.00	विनियम 38
2	द्वितीय डी. एच. एम. एस. परीक्षा	150.00	विनियम 38
3	तृतीय डी. एच. एम. एस. परीक्षा	150.00	विनियम 38
4	अनुपूरक दो विषय	80.00	विनियम 33
5	अनुपूरक दो से अधिक विषय	पूर्ण परीक्षा फीस	विनियम 33
6	विलंब फीस परीक्षा फीस	15.00	विनियम 43
7	अंक सूची	20.00	विनियम 39
8	अंक सूची की दूसरी प्रति	10.00	विनियम 49
9	अंकों का पुनर्योग प्रति विषय	10.00	विनियम 48 (1)
10	पुनर्जांच अधिकतम 3 विषय	100.00	विनियम 48 (1)
11	नामांकन फीस	30.00	विनियम 12
12	नामांकन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति	10.00	विनियम 16
13	एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तर के लिये फीस	25.00	विनियम 20 (चार)
14	प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति	2.00	विनियम 45 (3)
15	डी. एच. एम. एस. उपाधि प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति	25.00	विनियम 50

टिप्पणी.—विहित की गई फीस, डाक खर्च को अपवर्जित करते हुए है, जो यदि परिषद् द्वारा दिया जाय तो अलग से देय होगा.

प्ररूप—एक

(विनियम 13 देखिये)

टेलीफोन 73131

टेलीग्राम "होम्यो परिषद्"

राज्य होम्योपैथी परिषद, मध्यप्रदेश

नूर महल रोड, भोपाल-462001

प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित विद्यार्थी का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

नामांकन का प्ररूप

(महाविदयालय द्वारा भरा जाय)

1. महाविद्यालय का प्रवेश क्रमांक .. ..
2. नामांकन फीस रुपए .. ..
3. महाविद्यालय द्वारा जारी की गई रसीद क्रमांक तथा तारीख .. ..

(समस्त प्रविष्टियां विद्यार्थी द्वारा उसकी स्वयं की हस्तलिपि में भरी जायं)

5. विद्यार्थी का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) .. ..
6. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) .. ..
7. विद्यार्थी का नाम तथा पिता/पति का नाम (हिन्दी में) .. ..
8. जन्म तिथि केलेण्डर वर्ष तथा मास में (हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाय). .....
9. शैक्षणिक अर्हता (प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न की जाय) .. ..
10. मध्यप्रदेश में निवास की अवधि (राजपत्रित अधिकारी/नगरपालिक परिषद/ विधान सभा सदस्य का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय). .....
11. वर्तमान पता जिस पर पत्र व्यवहार किए जाने की वांछा है .. ..
12. स्थायी पता .. ..
13. प्रवेश की तारीख .. ..

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर पैरा 5 से 13 तक में कथित विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही हैं.

संलग्न :

1.
2.
3.

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर
(सुवाच्य हस्तलिपि में)

अन्वेषण अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित तथा संस्था की मुहर.

परिषद् कार्यालय के उपयोग के लिये

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पत्नी/पत्नीश्री ..... जो .....

..... महाविद्यालय के छः की है, का प्ररूप नामांकन फीस तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ समय पर प्राप्त हुआ और उसे नामांकन क्रमांक ..... आवंटित किया गया.

भारसाधक के हस्ताक्षर
भोपाल,
तारीख .....

रजिस्ट्रार,
राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, भोपाल.

प्ररूप एक (C)

(विनियम 18 देखिये)

राज्य होम्योपैथिक परिषद् , मध्यप्रदेश

नामांकन प्रमाण-पत्र

श्री/ श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र / पुत्री /पत्नी /श्री .... को ....
महाविद्यालय के हैं /की हैं, को राज्य होम्योपैथी परिषद, मध्यप्रदेश, भोपाल के डी. एच. एम. एस. के लिये प्रशिक्षण लेने हेतु क्रमांक............ पर विद्यार्थी के रूप में नामांकित किया गया है.

न्यू ई महेश रोड
भोपाल—462001
तारीख........

....
रजिस्ट्रार
राज्य होम्योपैथी परिषद्
मध्यप्रदेश.

प्ररूप दो

(विनियम 18 देखिये)

महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र

इस प्रमाण पत्र की किसी भी प्रविष्टि में कोई भी परिवर्तन, इसे जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा ही किया जायगा अन्यथा नहीं. विनियम 18 के अधीन जारी किया गया.

....
महाविद्यालय का नाम ....
अनुक्रमांक.. प्रवेश क्रमांक..........................
....

1. परिषद् का नामांकन क्रमांक ....
2. अभ्यार्थी का नाम .. ..
3. जाति तथा धर्म .. ..
4. पिता /पति का नाम .. ..
5. जन्म तिथि शब्दों में तथा अंकों में .. ..
6. जन्म स्थान .. ..
7. महाविद्यालय में प्रवेश की तारीख .. ..
8. महाविद्यालय छोड़ने की तारीख .. ..
9. महाविद्यालय छोड़ने का कारण .. ..
10. जो उत्तीर्ण की गई अंतिम परीक्षा .. ..
11. प्रगति तथा आचरण .. ..

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र/पुत्री ....
इस संस्था की तारीख .... को छोड़ रहा है / रही है और उसने महाविद्यालय के समस्त शोध्यों का भुगतान कर दिया है.
जारी करने की तारीख.... ....

प्राचार्य
तथा महाविद्यालय की सील.

प्रपत्र—तीन

(विनियम 33 तथा 38 देखिये)

डी. एच. एम. एस. परीक्षा [प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अनुपूरक]

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, भोपाल

होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि-पत्र परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रार,
राज्य होम्योपैथिक परिषद्,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

महोदय,

मैं होम्योपैथिक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि पत्र प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अनुपूरक परीक्षा में राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश के नियमित विद्यार्थी के रूप में बैठना चाहता हूं.

.... (रुपये ....) की परीक्षा फीस तथा रु. .... (रुपये ....) की अंक सूची फीस जमा कर दी गई है देखिये रसीद क्रमांक .... तारीख ....

तारीख ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय

1. आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में. (अंग्रेजी) .... (हिन्दी) ....
2. स्थानीय अभिभावक का नाम ....
3. स्थायी पता तथा पोस्ट आफिस और जिला ....
4. वर्तमान पता जो डाक से पत्र व्यवहार के लिये उपयोग में लाया जाता है। ....
5. जन्म तिथि .. ..
6. परीक्षा के विषय तथा परीक्षा का नाम .. परीक्षा ....
   1. .... 2. ....
   3. .... 4. ....
   5. .... 6. ....
7. माध्यम, हिन्दी/अंग्रेजी ....
8. नामांकन क्रमांक .... वर्ष ....
9. उत्तीर्ण की गई अंतिम परीक्षा तथा उत्तीर्ण करने का वर्ष .. ..
10. अंतिम परीक्षा जिसमें बैठा था किन्तु अनुत्तीर्ण रहा/अनुपूरक मिला तथा वर्ष. ....
11. अंतिम परीक्षा का रोल नम्बर जिसमें अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुआ है ....
12. प्रमाण-पत्र जो संलग्न किए गए:—
    (1) उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक सूची. ....
    (2) पूर्व डी. एच. एम. एस. परीक्षा की अंक सूची जिसमें उत्तीर्ण हुआ/बैठा था. ....

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर

(महाविद्यालय के प्राचार्य/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा भरा जाय)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... इस संस्था .... का/की नियमित अभ्यर्थी है और उसने परीक्षा में बैठने के लिये आवश्यक विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है तथा पूर्ण किया है. प्रत्येक विषय में आवेदक की न्यूनतम विहित उपस्थिति है।

आवेदक विषय/विषयों में ..... में विहित उपस्थिति बनाये रखने में असफल रहा है. चिकित्सा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है. आवेदक को परीक्षा में बैठने हेतु अनुज्ञा देने की सिफारिश की जाती है.

आवेदक की परीक्षा फीस तथा ग्रेस सूची फीस रु. ..... (रुपये .....) संग्रहीत किए गए हैं और परिषद् में जमा कर दिए गए हैं, देखिये बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर/नगद रसीद क्रमांक ..... तारीख .....

यह आवेदन-पत्र सामान्य परीक्षा फीस के साथ रु. ..... (रुपये .....) की विलम्ब फीस के साथ अग्रेषित किया जाता है.

आवेदक से कोई शोध्य तथा संस्था की कोई संपत्ति बकाया नहीं है और उसने शीघ्र वसूल फीस उसने चुका दी है. उसके द्वारा चाही गई परीक्षा में बैठने हेतु अनुज्ञा देने के लिये उसके मामले की सिफारिश की जाती है.

क्रमांक .....

तारीख .....

प्राचार्य के हस्ताक्षर,
संस्था की मुहर

राज्य होम्योपैथी परिषद्
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रथम
द्वितीय
तृतीय
अनुपूरक

डी. एच. एम. एस. परीक्षा, वार्षिक/अनुपूरक ..... (रोल नम्बर को छोड़कर समस्त प्रविष्टियां अभ्यर्थी द्वारा भरी जायेंगी) मद क्रमांक 5 महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित की जायेंगी.

अन्तिरटमेंट नम्बर ..... रोल नम्बर .....

1. आवेदक का नाम :—
   हिन्दी में .....
   अंग्रेजी में .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. स्थायी पता .....
4. लिए गए विषय —

डी. एच. एम. एस. परीक्षा

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

5. आवेदक ने आवेदन-पत्र की समस्त प्रविष्टियों को सही रूप में भरा है और अग्रेषण अधिकारी ने प्ररूप की समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली है.

अभ्यर्थी द्वारा दी गई अंतिम परीक्षा की अनुप्रमाणित अंक सूची संलग्न है.

रु. ..... (रुपये .....) की परीक्षा फीस परिषद् में जमा कर दी गई है, देखिए रसीद क्रमांक/बैंक ड्राफ्ट/मनी आर्डर क्रमांक ..... तारीख .....

प्राचार्य

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर

आवेदक के हस्ताक्षर

(परिषद् कार्यालय के लिये)

1. परीक्षा आवेदन-पत्र की जांच की गई और फीस प्राप्त हो चुकी है.
2. परीक्षा आवेदन-पत्र विलम्ब फीस सहित स्वीकार किया गया.
3. परीक्षा आवेदन-पत्र अस्वीकार किया गया.—
   1. विलम्ब फीस के लिये नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त हुआ
   2. प्ररूप अपूर्ण है
   3. प्ररूप प्राचार्य या अग्रेषण अधिकारी द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया है
   4. अभ्यर्थी नामांकित नहीं किया गया है.
   5. अन्य कारण

दिनांक

रजिस्ट्रार

प्ररूप---चार

(विनियम 45 देखिये)

राज्य होम्योपैथी परिषद् मध्यप्रदेश, भोपाल

डी. एच. एम. एस. .... वार्षिक/अनुपूरक परीक्षा .... (रोल नम्बर को छोड़कर समस्त प्रविष्टियां आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा भरी जाय)

प्रवेश-पत्र

अनुक्रमांक ....

नामांकन क्रमांक ....

रोल नम्बर ....

श्री/श्रीमती/कु. ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
को .... डी. एच. एम. एस. परीक्षा 19....... में जो तारीख .... में प्रारम्भ हो रही है .... के नियमित/अनुपूरक अभ्यर्थी के रूप में .... केन्द्र में बैठने की अनुज्ञा दी जाती है.

तारीख ....

रजिस्ट्रार,
राज्य होम्योपैथी परिषद्,
मध्यप्रदेश, भोपाल

गोपनीय

प्ररूप---पांच

[विनियम 66 (दो) देखिए]

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, भोपाल

परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग या उपयोग के प्रयास के मामले की रिपोर्ट करने का प्ररूप.

डी. एच. एम. एस. परीक्षा 19....

संस्था का नाम .. ..

नियमित/अनुपूरक विषय तथा प्रश्न-पत्र जिसमें अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुचित साधनों का उपयोग करने/उपयोग करने का प्रयास करने की रिपोर्ट की गई है. ....

प्रश्न-पत्र क्रमांक ....

दिन .... तारीख .... समय ....

....

र्थी के कब्जे में पाई गई सामग्रियों की विशिष्टियां .. ..

1. पुस्तकों के नाम .. ..

2. पुस्तकों से फाड़े गये पन्नों का पृष्ठ क्रमांक/या हस्तलिखित पर्चियां ....

केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इन्विजिलेटर) जिसने उसे पकड़ा है..

टिप्पणी.---अनुचित साधनों की सामग्री पर केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इन्विजिलेटर) द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे.

अभ्यर्थी का कथन उसकी स्वयं की हस्तलिपि में अभिप्राप्त किया जायगा.

1. क्या उपरोक्त चीजें आपके कब्जे से बरामद की गई थीं ? .....
2. उन्हें आपने अपने पास क्यों रखा था ? .....
3. क्या आपने उनका कोई उपयोग किया है ? .....
4. क्या आपको और कुछ कहना है ? .....

(जो कुछ आपको कहना है उसका कथन कीजिए) .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह कथन मेरी उपस्थिति में किया गया था ..... उसने कोई कथन करने से इंकार किया.

.....

अधीक्षक

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख .....

समय .....

वीक्षक (इन्विजिलेटर) की रिपोर्ट

तारीख .....

समय .....

वीक्षक के हस्ताक्षर

परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक की रिपोर्ट

(यह निश्चित तथा असंदिग्धार्थ होनी चाहिये)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. अभ्यर्थी ने केवल एक/दो उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया है या कोई दूसरी उत्तर पुस्तिकायें लेने से इंन्कार किया है.

तारीख .....

समय .....

अधीक्षक के हस्ताक्षर

मुख्य परीक्षक की रिपोर्ट

1. क्या सामग्री प्रश्न-पत्र के विषय से सुसंगत है? .....
2. क्या अभ्यर्थी ने सामग्री का कोई उपयोग किया है यदि हो, तो किस प्रश्न या किन प्रश्नों में? .....
3. कोई और टीका-टिप्पणी जो परीक्षक देना चाहता है .....

4. अभ्यर्थी को, उस उत्तर पुस्तिका में, जिसमें उसके द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने का पता लगा था, प्राप्त हुए अंक. .....

5. अभ्यर्थी को, पकड़े जाने के पश्चात् उसे प्रदान की गई दूसरी उत्तर पुस्तिका में प्राप्त हुए अंक. .....

तारीख.....

परीक्षक के हस्ताक्षर

परिषद् का विनिश्चय

परीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–छ'

(विनियम 32 देखिये)

अनुक्रमांक.....

रोल नम्बर .....

राज्य होम्योपैथीक परिषद्,
मध्यप्रदेश

होम्योपैथीक चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में उपाधि

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .....होम्योपैथी चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा में अंतिम उपाधि-पत्र परीक्षा 19..... में .....केन्द्र से उद्योग हुआ है/हुई है और इस प्रमाण-पत्र का धारक मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम्योपैथी तथा बायोकैमिस्ट्री पद्धतियों की चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में व्यवसाय करने के लिये हकदार है.

भोपाल:

तारीख.....

अध्यक्ष/प्रशासक

.....

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत चन्द्र चतुर्वेदी, उपसचिव..

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 1982

क्र. 2790-4161-सत्रह-नौ-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2788-4161-सत्रह-नौ-4, दिनांक 23 अक्टूबर 1982 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत चन्द्र चतुर्वेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd October 1982

No. 2788-4161-XVII-Med.-IV.—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (i) of section 52 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Council of Homoeopathy Madhya Pradesh, with the previous sanction of the State Government, vide Public Health Memo No. 2578-2607-XVII-Med.-4, dated 1st October 1982, hereby makes the following regulations, namely :—

PART A—PRELIMINARY

1. *Short title.*—These regulations may be called the State Council of Homoeopathy Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery (Four Years Course) Examination Regulation 1982.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(i) "Act" means the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976) ;

(ii) "Appendix" means an appendix appended to these regulations ;

(iii) "Course" means the course of study for the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery prescribed by the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, and in the even of course not being so prescribed by the Central Council, the course of study prescribed by the Council under these regulations ;

(iv) "Examination" means the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery (Four Year Course) Examination conducted by the Council ;

(v) "Examination Officer" means the officer conducting the examination ;

(vi) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;

(vii) "Homoeopathic College/Institution" means a Homoeopathic Medical College or an institution recognised or established by the State Council of Homoeopathy or State Government ;

(viii) "President" means the President/or Administrator of the State Council of Homoeopathy ;

(ix) "Registrar" means the Registrar of the Council ;

(x) "Regular/Student" means a student who has prosecuted a regular course of study in an institution/College affiliated or recognised or established by the Council and seeks admission to an examination of the Council as such student.

PART B—ADMISSION TO THE DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY COURSE

3. The Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery course will be of four years duration including a compulsory internship of six months duration after passing the final Examination for Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.

4. (1) Only sub candidate shall be eligible for admission to the first year of the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Course who has—

(1) passed Higher Secondary or Intermediate (10 + 2) or its equivalent examination with Physics, Chemistry and Biology as the subjects ; and

(b) Completed age of 16 years on or before the 31st December of the year immediately preceeding the date of submission of application from for admission to the first year of the course.

(2) A candidate who has passed the examination for Diploma in Homoeopathy and Biochemistry shall be eligible for admission to the second year of the course of Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.

5. The medium of instruction and examination shall be in Hindi or English at the option of the candidate.

6. The examination fee and other fees payable to the Council shall be as specified in Appendix.

7. (1) A candidate desirous of admission in an affiliated/recognised college shall submit an application to the Principal/Head of the College alongwith a certificate as to his conduct signed

[illegible] Principal/Head of [illegible] institution [illegible] extended [illegible] necessary fees and other documents [illegible] before the last date notified by the Principal/Head of the College in this behalf from time to time.

(2) The Principal/Head of the institution to which a candidate has sought admission may call upon the candidate to satisfy him as regards his conduct, medical fitness and other terms and conditions for admission specified in these regulations.

8. All admissions to any institutions recognised by the Council or established by it or the State Government shall be subject to confirmation of the Council. In case any admission is not found in conformity with the provisions of these regulations the Council shall have in its absolute discretion power to refuse admission to any of the examination with respect to the course which the student might have studied or the Council may, in its absolute discretion, withdraw the diploma awarded to any candidate if it transpires that such student has as a result of fraud, misrepresentation, mistake or any other vitiating factors obtained admission to the course.

9. All admissions in the recognised institutions for such courses of studies shall be closed on such date as the Council may notify from time to time in this behalf.

10. Nothing in these regulations shall prohibit the Council to limit the number of admissions to any course of study in any recognised institution subject to availability of accommodation and facilities provided for such course.

11. A student admitted to any recognised institution, shall be recognised as a member of that institution as soon as his application for Enrolment Certificate is forwarded to [illegible] Council.

12. No candidate shall be admitted to any examination of the Council unless he has been enrolled as a student of the council, and has paid enrolment fee as specified in the appendix.

13. The application in Form one (A) for enrolment together with the enrolment fee and other documents required to be submitted, shall reach the office of the Council through the head of the institution to which he has been admitted, within 30 days of the last date of admission in the college before expiry of [illegible] such period as the Council may in its discretion [illegible].

14. The Registrar shall maintain a register and a card index of all the students enrolled with the Council. The card shall contain information required for identification purposes at the time of enrolment and shall be supplemented by the Registrar, in which information regarding readmission, transfer, success or failure at an examination or leaving the institution, shall be entered.

15. On enrolment, every student shall receive from the Registrar an enrolment certificate in Form Two (B) showing the enrolment number under which his name has been entered in the register and that number shall be quoted by the student in all communications to the Council and subsequent applications for admission to an examination of the Council.

16. A duplicate copy of the enrolment certificate may be issued on payment of the fee specified in this behalf in the appendix.

17. The head of the institution recognised by the Council shall forward, after careful examination of the original documents, to the Registrar the enrolment forms and the enrolment fees of all the students admitted in his institution and such other information as may be sought by the Council.

18. No student shall be allowed to get himself transferred from one institution to another without prior permission of the Council and issue of transfer certificate by the Principal of the College, in the Form Two.

19. Subject to the provision of regulation 18 no student shall be allowed to get himself transferred from one institution to another, unless he passes first professional Examination from the institution in which he has already taken admission and the President of the Council considers the reasons put forth by the student for transfer to be genuine.

20. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations if a student desires to get himself transferred from the institution after commencement of the session or during the session, and wishes to join another institution, he shall—

(i) make an application in writing to the Registrar through the Principal of his

intention to leave the institution stating the reasons for the same;

(ii) make payment of all college dues and other dues as required under these regulations;

(iii) refund whatever scholarship or any other sum paid to him from the college fund, if the college requires him to do so;

(iv) pay a fee as specified in Appendix A in this behalf to the Council for change of his enrolment from one institution to another institution.

(2) The Principal shall forward the application for transfer to the Council alongwith his comments.

The Principal shall issue transfer Certificate only after, receiving permission from the President of the Council and thereafter the student shall ordinarily be eligible for admission to any other affiliated/recognised college.

21. As respects any question arising out of the transfer of a student from one institution to another institution and such matters connected therewith for for which nothing is specifically provided in these regulations, the decision of the Registrar shall be final.

22. When a student has been found guilty of grave misconduct or persistent idleness or breach of discipline within or outside the jurisdiction of the College or Council, the Principal of the College in which such student is studying, or the President of the Council may, according to the nature and gravity of the case, after giving an opportunity of hearing to the offending student—

(a) suspend him from attending classes for a specified period,

(b) expel him from the institution,

(c) rusticate him for a period not exceeding one academic year,

(d) disqualify him from appearing at the ensuing examination of the Council:

Provided that the Principal or the Registrar, as the case may be, shall have the power to suspend a student immediately if such Principal or Registrar on information or otherwise has reason to believe that the student is primafacie guilty of an act of grave misconduct even without giving prior opportunity of hearing to the student.

23. No student who has been so expelled or rusticated shall be admitted to another institution during the period of his punishment, as may be specified in the order of expulsion or rustication as the case may be.

24. All cases of expulsion/rustications shall be reported to the Council for confirmation. The Principal shall, however, have power to suspend a student temporarily from the college pending enquiry into his conduct in connection with an alleged misconduct.

PART C—SCHEME OF DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY EXAMINATION

25. (1) There shall be three examinations, namely :—

(i) First Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination, at the end of the first year of the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery courses.

(ii) Second Diploma in Homoepathic Medicine and Surgery Examination, at the end of the second year of the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgenry Course.

(iii) Third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination (Final) at the end of three and a half years of Diploma in Homoeopathic, Medicine and Surgery course.

(2) The examinations shall be held twice a year, main and supplementary, on such dates, time and place or places as the council may from time to time determine.

26. (1) *First Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examinations.*—A candidate shall be eligible for admission to the first diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination, to be held after the completion of the first academic year, who has attended a regular course of study in an affiliated/recognised college for atleast one academic year to the satisfaction of the Principal/Head of the institution and has been enrolled with the Council as a regular student in the said college.

(2) *Second Diploma in Homoeopathic Medicine & Surgery Examination.*—A candidate who has passed First Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination or Diploma in Homoeopathy and Biochemistry Examinations of the State Council of Homoeopathy, Madhya Pradesh or of the Ex-Board of Homoeopathic and Biochemic Systems of Medicine, Madhya Pradesh and has attended a regular course of study of one academic year (second year) in affiliated/recognised college to the satisfaction of the Principal/Head of the institution, shall be eligible for the admission to the Second Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination to be held at the end of two years of Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery course.

(3) *Third Diploma in Homoeopathic Medicine & Surgery Examination.*—A candidate who has passed Second Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination and has attended a regular course of study of the Third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Course for a period of 1½ years in an affiliated/recognised college to the satisfaction of the Principal/Head of the institution will be eligible for admission to the Third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination (Final).

Explanation.—For the purposes of this regulation "A regular course of Study" means attendance is atleast 75% of lectures and practical/clinical delivered or held, separately in a subject in a particular academic year or session:

Provided that the deficiency in percentage of attendance not exceeding 20% of the total number of lectures delivered and practical/clinics held in each subject may be condoned by the President of the Council on the recommendation of the Principal/Head of the college in case of prolonged illness or any other valid reasons.

27. (1) Every candidate for the First Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination shall be required to pass in the following subjects of study:—

(i) Anatomy;

(ii) Physiology;

(iii) Pharmacy;

(iv) Materia Medica (20 polychrest drugs).

(2) Every candidate for the Second Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination shall be required to pass in the following subjects of study:—

(i) Pathology, Bacteriology and Parasitology;

(ii) Forensic Medicine and Texicology;

(iii) Social and Preventive Medicine including health, education and family welfare medicine;

(iv) Materia Medica (56 Polychest drugs);

(v) Organon (upto apho. 70).

(3) Every candidate for the Third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination shall be required to pass in all the following subjects:—

(i) Practice of Medicine, (including mental diseases and Homoeopathic Therapeutics);

(ii) Surgery (including E.N.T., Eye, Dental diseases and Homoeopathis Therapeutics);

(iii) Obstetrics and Gynaecology, including pediatrics;

(iv) Materia Medica, (70 drugs);

(v) Organon and Philosophy;

(vi) Repertory.

28. (1) The examination in each subject shall consist of written, oral and/or practical (clinical) test. Three hours shall be allowed for each written paper (test) and one hour for practical/clinical test.

(2) Pass mark for each subject shall be 45% of the total marks in written papers and oral and practical.

(3) Candidates securing 75% or more marks in a subject shall be declared to have obtained Distinction (Honour) in that subject provided that the candidate passes in all the subjects in the examination at the first attempt.

(4) Scheme of Examinations shall be as follows:—

(I) First Diploma in Homoeopathic Medicine & Surgery Examination

S. No.	Subject	Written M.M.	Written P.M.	Oral + Practical M.M.	Oral + Practical P.M.	Total M.M.	Total P.M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Anatomy Ist Paper	100	90 Orl.	100	90	400	180
	IInd Paper	100	Pra.	100			
2.	Physiology Ist Paper	100	90 Orl.	100	90	400	180
	IInd Paper	100	Pra.	100			
3.	Pharmacy Paper	100	45 Orl.	50	45	200	90
			Pra.	50			
4.	Mat. Medica Paper	100	45	100	45	200	90
		600	270	600	270	1200	540

(II) Second Diploma in Homoeopathic Medicine & Surgery Examination:—

S. No.	Subject	Written M.M.	Written P.M.	Oral + Practical M.M.	Oral + Practical M.M.	Oral + Practical P.M.	Total M.M.	Total P.M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pathology	100	45	50 +	50	45	200	90
2.	Forensic Medicine	100	45	50 +	50	45	200	90
3.	Social & Preventive Medicine.	100	45	50 +	50	45	200	90
4.	Materia Medica	100	45	50 +	50	45	200	90
5.	Organon	100	45	50 +	50	45	200	90
		500.		250	250		1000	450

(III) Third Diploma in Homoeopathic Medicine & Surgery (Final) Examination:—

S. No.	Subject		Written M.M.	Written P.M.	Oral + Practical M.M.	Oral + Practical M.M.	Oral + Practical P.M.	Total M.M.	Total P.M.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Practice of Med.	I	100	90	100 +	100	90	400	180
		II	100						
2.	Surgery	I	100	90	100 +	100	90	400	180
		II	100						
3.	Obstetrics & Gynaecology	I	100	90	100 +	100	90	400	180
		II	100						
4.	Materia Medica	I	100	90	100 +	100	90	400	180
		II	100						
5.	Organ and Phylosophy	I	100	90	50 +	50	45	300	135
		II	100						
6.	Repertory		100	45	50 +	50	45	200	90
			1100		500	500		2100	

29. Notwithstanding anything contained in these regulations, if an examinee appearing at an examination fails in subjects not exceeding two but secures more than the minimum aggregate marks required may have the deficiency of his marks in the subject or subjects in which he fails condoned up to the limit of five marks.

30. As soon as possible after the examination is over, the Council shall publish a list of successful candidates arranged in the following manner :—

(a) the names, roll number and the marks obtained of the first ten candidates in order of merit, and

(b) the roll numbers of others arranged serially.

31. After passing the Third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery (Final) examination, a student will have to undergo training of six months in the form of compulsory internship in a Hospital or Dispensary recognised by the Council, to the satisfaction of the Principal or Head of the institution.

32. Every successful candidate, after the completion of the internship of the period under regulation 31 and on the recommendation of the Principal or Head of the Institution, shall be awarded Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery, in form six under these regulations, by the Council.

33. *Supplementary Examination.*—A candidate who has passed at least in one subject may be admitted to supplementary examination in the subject or subjects of that part of the examination in which he has failed, to be held ordinarily after six weeks from the publication of results on payment of the fee in this behalf in Appendix alongwith an application in Form three.

34. If a candidate obtains passing marks in the subject or subjects at the supplementary examination or the subsequent examination, he shall be declared to have passed at the examination as a whole.

35. If such a candidate fails in the subject or subjects at the supplementary examination in the subject or subjects concerned, he may appear in that subject or subjects at the next annual examination on production of a certificate (in addition to the certificates required under these regulations) to the effect that he had attended to the satisfaction of the Principal, a further course of study for a period of next academic [illegible] the subject or subjects in which he had failed :

Provided that all the subjects of the examination shall be completed within four chances including the main and the supplementary, to be counted from the date when the complete examination becomes due for the first time.

36. If a candidate fails to pass in all the subjects within the prescribed four chances, he shall be required to prosecute again the course of study in all the subjects of the examination concerned for the academic year to the satisfaction of the Head of the college and shall appear for examination in all the subjects :

Provided that if a student appearing for the third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Examination has only one subject to pass at the last out of the prescribed chances, he shall be allowed one more chance to appear at the next examination in that particular subject and shall complete the examination with this special chance, failing which he shall be required to take full examination of the third Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

37. The Council may under exceptional circumstances in its discretion partially or in toto cancel any examination of one or more centers conducted by it and arrange for conducting re-examination in those subjects at these centres as early as possible from the date of such cancellation or as the case may warrant.

PART D—EXAMINATION GENERAL

38. Every candidate for admission to an examination shall submit an application to the Principal/Head of the institution, in Form three addressed to the Registrar, stating the examination and the subject in which he desires to present himself for the examination through the Principal of the College/Head of the institution alongwith the examination mark-sheet fee as specified in this behalf in Appendix and other certificates and documents as may be asked for alongwith the application form on or before the last date fixed by the Principal/Head of the institution in this behalf from time to time.

39. (1) Application submitted by the candidate together with the examination fee and marks sheet fee shall be forwarded by the Principal/Head of the institution so as to reach the Registrar on or before the last date fixed for the purpose by the Council.

(2) With respect to each application the Principal of the College/Head of the Institution shall certify that the candidate—

(1) possesses minimum academic qualifications for appearing at the examination to which he seeks admission ;

(2) is of a good conduct.

40. The principal of a college or the Head of the institution may detain a candidate from appearing at an examination who—

(a) does not clear the outstanding dues of the college ; or

(b) does not return the college articles and uniform or the cost thereof in case of loss; or

(c) has committed serious acts of indiscipline which may attract expulsion or rustication from the institution.

41. No person who has been expelled from any college shall be admitted to any examination.

42. (1) No person wo has been rusticated from any college shall be admitted to any examination during the period of rustication.

(2) No person who has been debarred for appearing at any examination for a specified period shall be admitted to such examination during such specified period.

43. An application for admission to an examination received by the Registrar after the last date fixed by the Council but not later than fifteen days after such last date may be entertained on payment of a late fee as specified for the purpose in Appendix A.

44. Notwithstanding anything contained in these regulations the President may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to negligence on the part of the candidate and that it would be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects to be entertained with the specified late fee even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in regulation 43.

45. (1) The Registrar shall issue an admission card in the prescribed form in favour of a candidate if the application of the candidate is complete in all respects and the prescribed fees have been paid by the candidate.

(2) The admission card issued in favour of a candidate and the permission given may be withdrawn, at any stage if it is found that—

(a) the admission card was issued or the permission granted was given through mistake or the candidate was not eligible to appear at the examination ;

(b) any of the particulars given or documents submitted by the candidate with the application for enrolment, admission to a college or a admission to an examination is false or incorrect.

(3) The Registrar may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on payment of a further fee of Rs. 2 (two). Such card shall contain in a prominent place the word "DUPLICATE".

46. A candidate shall not be admitted into the examination hall unless he produces the admission card before the Centre Superintendent or Invigilator or satisfy such officers that it shall be produced. A candidate shall produce his admission card whenever required by the Centre Superintendent or the invigilator.

47. (1) A candidate who, due to sickness or other cause is unable to present himself at an examination shall not receive a refund of his fees :

Provided that the President may, in a case in which he is satisfied, the cause was beyond the control of the candidate, may order for adjustment of the following portion of the fee towards the fees liable to be paid by the candidate for the immediately next examination, namely :—

(i) Examination fee after deducting 25% of the fee ;

(ii) Fee for the statement of marks.

Other fees paid by the candidate shall lapse to the Council Application for such adjustment from a candidate accompanied with a medical certificate of illness, if applicable, must be sent so as to reach the Registrar not earlier than 10 days and not later than 30 days from the date of commencement of the examination at which the candidate was to [illegible]

(2) The fees paid by a candidate who is debarred from appearing at an examination due to shortage of attendance or late submission of application may be refunded through the Principal of the college concerned after deducting a sum of Rs. 5 (five).

(3) The examination and marks sheet fees of a candidate who dies before appearing at the examination or during the period of taking examination may be refunded in full to his guardian or to the legal heirs of such candidate.

(4) The entire fees paid by a candidate, whose application for appearing at an examination is cancelled on account of submission of forged documents or giving false particulars or who is debarred from appearing at the examination or expelled or detained shall stand forfeited.

48. (1) Any candidate, who has appeared at an examination, may apply to the Registrar for retotalling of his marks in the written papers in one or more subjects but not more than three subjects and rechecking of his marks. Such application shall reach the Registrar alongwith true copy of the mark sheet not later than 30 days from the date of declaration of the result of the examination. Such application must be accompanied by a fee specified for the purpose in Appendix A.

(2) The result of the scrutiny shall be communicated to the candidate.

(3) If, as a result of the scrutiny, it is found that such candidate is entitled as having passed, or his total is so raised as to entitle him to get a place in the merit list, the fees deposited by the candidate for rechecking shall be refunded to him after deducting Money Order commission or remittance expenses.

49. A duplicate copy of mark sheet may be issued on payment of a fee as specified in Annexure A for the purpose.

50. Duplicate copy of the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery shall not be granted except in cases in which the President is satisfied on the production of an affidavit on a stamped paper of proper value required by law for the time being in force that the applicant has lost his Diploma or that it has been destroyed and the applicant is in real need for a duplicate. In such cases a duplicate of the diploma may be granted on receipt of a fee as specified in Appendix A for the purpose.

PART E- CONDUCT OF EXAMINATION

51. The President of the Council shall be overall incharge of the examination and it shall be held under his direct superintendence.

52. The Registrar of the Council, or any other person appointed by the Council to act as an examination officer, shall in consultation with the President of the Council, make all arrangements for the conduct of the examination. Registrar/Examination Officer shall maintain due secrecy in everything that is necessary for the conduct of the examination till the results are declared.

53. (1) The Examination Officer, not being the Registrar, shall keep all the confidential records and correspondence regarding appointment of examiners, paper setters, printing of question papers. Payment to the press shall be made through and in the name of the Examination Officer in order to maintain due secrecy of the name and place of the press, till the publication of the result, and after the result is declared and published all records and materials pertaining to examination shall be handed over to the Registrar, who shall cause the same to be kept in a safe place.

(2) Except as otherwise decided by the Executive Committee of the Council, the examinatiin answer books and the documents regarding the marks obtained by the examinees, except the tabulated results shall be destroyed or otherwise disposed of by the Registrar after 6 months from the date of the declaration of the results, or in case any legal proceeding challanging the result of the examinations are filed, after such proceedings are finally decided, whichever is later.

54. The Registrar shall publish the programme for the conduct of the examination and the dates by which applications and fees for examination shall be paid by the examinees.

55. Registrar/Examination Officer shall, in consultation with the President, appoint Centre Superintendent for each examination centre and shall issue instructions and provide guidance as and when necessary.

56. The Centre Superintendent of the examination at each centre shall receive the question papers in properly sealed covers from the Examination Officer and shall be personally

responsible for the safe custody of question papers and the answer books sent to him and shall render to the Council office complete account of used and unused question papers and answer books. He shall make seating arrangements for the candidates and other arrangements necessary for the smooth conduct of the examination at the centre.

57. The Centre Superintendent shall appoint invigilators and other staff, who shall receive such remuneration as may be fixed by the Council from time to time. He shall supervise the work of invigilators and other staff working under him and shall conduct the examinations strictly according to the instructions issued to him by the Council.

58. The Centre Superintendent shall whenever necessary, send a confidential report to the Registrar about the conduct of the examination mentioning therein the performance of the invigilators and the general behaviour of the examinees. He shall send a daily report on the number of examinees attending examination each day, absentees roll numbers. current accounts of the answer books, and such other information, relating to the examination being held at the centre, as may be considered necessary and any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the Council.

59. The Council may sanction advance money for each centre and the Centre Superintendent shall be responsible for maintenance and submission to the Registrar of the detailed accounts of the advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the examination.

60. The Council may change the examination centre of the examinees irrespective of a college to which they belong, at any time, it deems proper without assigning any reasons.

61. (1) In the examination hall the candidate shall be under the disciplinary control of the Centre Superintendent and he shall obey his instructions. A candidate, in the event of his disobeying orders of the Centre Superintendent being indisciplined or using unfair means or attempting to use unfair means or arrogant and misbehaviour towards the Centre Superintendent or the invigilator, or any other member of staff of the centre, he may be excluded from that day's examination and if he persists in his misbehaviour, he may be excluded from the rest of the examination by the Centre Superintendent.

(2) If a candidate brings any dangerous weapon or an object that can be used for assult within the precincts of the examination centre, and/or acts in a violent manner or uses force or makes a display of force towards the Centre Superintendent, or invigilator or an examinee in its precincts endangering the personal safety or acts in a manner likely to obstruct the authorities in the discharge of their duties the Centre Superintendent may expel the candidate from the centre and may for this purpose use or cause to be used such force as may be necessary and he may in addition take police help. A candidate so expelled shall not be allowed to appear in the subsequent papers.

(3) In every case where an action is taken by the Centre Superintendent under clauses (1) or (2) a full report shall be sent to the Council and the Executive Committee may, having regard to the gravity of the behaviour or misconduct of the candidate, further punish him by cancelling his examination and/or debarring him from appearing at any of the examinations of the Council for one or more years in either case after giving the candidate a reasonable opportunty to show cause against propósed action and after considering any explanation submitted by the candidate.

62. The sealed covers containing the question papers marked for the day, will be opened before 10 minutes of the commencement of the examination and the sealed cover will be initialled and dated with time by the Centre Superintendent and an invigilator certifying that the seals were infact and broken opened before them. The Centre Superintenlent and invigilator shall before distribution of question papers amongst examinees, satisfy themselves that the sealed covers contain relevant question papers only.

63. No identification mark of the centre or the Centre Superindendent shall be made on the cover or anywhere on the answer books. After the completion of the question papper, each day, all answer books shall be checked and verified in order to ensure that entries on the cover page made by the examinees are complete and correct, and thereafter the answer books shall be properly sealed and certified by him and an invigilator giving time and date of sealing the packet and shall be sent to the examination officer, in accordance with the instructions given in this behalf by the examination officer, from time to time.

64. It shall be the duty of the Centre Superintendent to ensure that an examinee is the same person who had filled in the form of application for appearing at the examination by way of checking the photograph pasted on the form and signatures (one already on the form and the other to be obtained in the examination hall) in cases of all examinees.

65. Save in genuine cases occasional due to illness, accident or any other sufficient cause no examinee shall be allowed in the examination hall after half an hour of the commencement of the examination and no examinee shall leave the examination hall within half an hour of the start of the examination for any purpose whatsoever. The invigilators shall each day obtain the signatures in a given paper of all the examinees present and check the admission card. He shall also verify that each examinee has entered correctly the required details at appropriate places on the cover page of the answer book before he is allowed to leave the hall.

66. The Centre Superintendent shall take action against an examinee, who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the examination centre during the hours of examination, in the following manner :—

(i) The examinee shall be called upon to surrender all the objectionable material found in his possession including the answer books and a memorandum shall be prepared by the invigilator with date and time to be noted thereon and the same shall be signed by the Superintenden;

(ii) The statements of the examinee and the invigilator shall be recorded in form five. In case of refusal by the examinee to give his statement and to surrender the materials used as unfair means, such a note shall be given by the Superintendent;

(iii) The examinee shall be issued a fresh answer book marked "DUPLICATE using unfairmeans" to attempt answer within the remaining time prescribed for the examination;

(iv) All the materials so collected and the entire evidence alongwith a statement of the examinee and the answer book duly initialled shall be forwarded to the Examination Officer, by name, in a separate confidential, sealed, registered packet marked "Unfair means" alongwith the observations of the Centre Superintendent;

(v) The material so collected from the examinee together with both the answer books, namely, answerbook collected while using unfair means and the other supplied afterwards will be sent to the examiner by the Examination Officer for assessing both the answer books separately and to report if the examinee has actually used unfair means in view of the material collected;

(vi) The cases of the use of unfair means at the examinations as reported by the Centre Superintendent alongwith the report of the examiner shall be placed before the Examination Committee for examination and decision in relation thereto.

67. All cases of unfair means and breach of discipline in the examination, shall be recorded in the daily reports by the Centre Superintendent and witnessed by an invigilator present.

68. The Registrar may, on the recommendation of the Centre Superintendent appoint an amanuensis to write down dictation pertaining to answers to questions at the examination on behalf of an examinee who is unable to write himself on account of blindness short sightlessness or sudden illness, provided that such an amenuensis shall be a person of lesser qualification and non-medical person.

69. The Council may from time to time appoint Inspector or Board of Inspectors to see that the conduct of the examination is strictly according to the rules and procedures laid down. In the event of the Inspector pointing out serious breach of rules or procedures, the President may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part, of the examination at the centre and if any such action is taken a report of the action taken with reasons shall be made to the Executive Committee at its next meeting.

70. The Executive committee may cancel an examination at centres if it is satisfied that there has been a leakage of question papers or any other irregularity of serious nature warranting such a step.

71. The Council may appoint an Examination Committee which shall—

(i) approve the panel and list of paper setters, examiners, practical examiners external and internal ;

(ii) issue such general instructions for the guidance of the Examiners. Centre Superintendents, Tobulators. Collectors as it considers necessary for the proper discharge of their duties;

(iii) examine and decide the cases of use of unfairmeans and malpractices at the examination centre;

(iv) perform such other works in connection with conduct of examination as may be entrusted to it by the President from time to time.

72. The President shall appoint tabulators and collators and/or such persons as are necessary for preparation of result sheet. The President and/or the Examination Committee may issue general instructions for the guidance of the examiners, setters. Centre Superintendents tabulators, collectors, as it considers necessary for the proper discharge of their duties and preparation of the result of the examination.

73. The Examination Committee may suggest from time to time any alterations or modifications in rules and procedures about the conduct of examination and preparation of the examination.

74. If a candidate has any communication to make on the subject of his/her examination paper, it shall be made in writting to the Registrar direct, who shall, if necessary put the applicatiin with his notes before the Result committee for consideration.

75. The Council shall constitute a Result Committee for each examination whose function shall be—

(i) to scrutinise and pass the result of the examination after satisfying itself that the results as a whole and in various subjects are in conformity with the usual standard;

(ii) to scrutinise, complainst against question papers and to take necessary action;

(iii) to decide cases of candidates whose answerbooks may have been lost in transit;

(iv) to report to the Council if any action is to be taken against any examination Centre Superintendent or invigilator;

(v) to perform such other duties as the Council may entrust from time to time

76. The result as passed by the Result Committee shall be declared by the Registrar and shall be published on the notice board of the Council and simultaneously be communicated to the Principals of the colleges concerned.

77. The Result Committee shall haye power to detain the result of any candidate of a centre for such reason or reasons which may warrant such an action. The result so detained may be declared when the reason/or objections for which it was detained have been removed or the same may be cancelled and fresh examination may be ordered by the Council; if such a course is considered necessary by it.

78. The mark sheets for each candidates shall be prepared in such form as may be approved by the Council from time to time and shall be sent to each candidate through the institution.

79. The remuneration of the paper setters, Examiners. Superintendents. Invigilators. Tabulaters and Collectors and the deductions to be made in remuneration for errors noticed shall be such as may be determined by the council from time to time.

80. (1) As regards any doubt arising about the interpretation or in application of these regulations and as regards such any other matters for which nothing specifically has been provided under these regulatios the decision of the Council shall be final.

(2) The Council shall have power to revise or make addition and alterations in the forms appended to these regulations, as it may deem fit.

PART: F—SYLLABUS AND CURRICULAM

The following shall be the syllabus for the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery:—

FIRST DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC MEDICINE & SURGERY EXAMINATION

Anatomy :

A complete course of human anatomy with a general working knowledge of the different Anatomical part of the humar body, general anatomical positions and broad relations of the viscera, museles, blood vessalles, nerves and lymphatics. demonstration through prepared dissected specimen regional and surface anatomy, surface markings and radiographs of the normal subjects.

Practical :

A course of dissection of the human body may be arranged wherever possible. Burden of dissection can be reduced by demonstration of the dissected parts of the body, demonstration of surface marking of important viscera. arteries, nerves, regions of clinical importance of the brain, body land marks. Paper No. 1 upper extremity, head, face, neck and brain. Paper No. 2 Lower extremity, thorax, abdomen and pelvis.

2. Physiology :

A course of systematic lectures in the general principles and facts in physiology.

Paper No. 1 :

Histology, blood and lymph, cardiovascular system, reticuloendo the lial system, spleen, respiratory system, urinary system, skin regulation of body, temperature, sense organs, nerve muscle physiology.

Paper No. 2 :

Endocrine organs, nervous system, reproductive system, digestive system, metabolism, enzymes. nutritions.

Practical :

1. Identification of histological specimen of tissues and organs, Bones, Cartilage, fibrone issue, celluar tissue, veins, arteries, liver, lung, appendix, fallopean tube, cross section of spinal nerve, lymph gland, spleen, kidney.

2. Preparation of staining of blood fliss. total and differential count of blood cells.

3. Use of the haemoglobinomater and sphygmomonometer. Demonstration of some experiments in connection with nerve muscle physiology.

4. Chemical examination of common normal and abnormal ingredients of urine.

3. Theoratical Pharmacy :

Introduction, Scope, weights and measures and scales, instruments and appliances, sources of drugs, Drug vehicles, methods of preparation of drugs. (Mothertinctures, solution, potencies and triturations) fluxions potency, conversion of trituration into liquid form, external applications.

Prescriptions its writing and validity pharudcology, standardisation of drugs and behicles, pharmacy legistation, general laboratory methods, Biological Mechanical and/or [illegible] characteristics of important drugs substance Homoeopathic drug proving.

Practical :

Indentification and uses of pharmaceutical appliances and instrument and their's cleaning, identification of polychrests (drugs). microscopic study of drug substance and trituration upto 3 X potency, estimation of moisture, purity and gravity tests, Globules its size and medication.

Preparation and dispensing of dilute alchoholic solutions and dilutions, preparation of mother tinctures, trituration potentisation, preparation of external applicatios, writing of prescription and dispensing of the same. Laboratory Methods.

4. Materia Medica and Philosophy :

1. Aconite nap
2. Alliumcepa
3. Arnica Montana
4. Belladonna
5. Borex
6. Bryonia
7. Calandula
8. Causticum
9. China
10. Colocynth
11. Dulcamara
12. Fernum Met
13. Gelsemium
14. Kali Mur
15. Kali Phos
16. Magnesia phos
17. Nuxovomica
18. Phosphorus
19. Rhus Tox
20. Spongia

Phylosophy :

A bird's-eye view about the history of medicine in general and homoeopathy in particular and the life of Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann's contribution to the concept of health and disease and the study of man as a whole, both in health and disease the outline of Homoeopathic philosopy and introduction to the Homoeopathic Materia Medica with illustrations by a few drug pictures of about ten to fifteen important commonly used drugs. Family Welfare Programme of the country. Elementary, knowledge of psychology and logic.

SECOND DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC MEDICINE & SURGERY EXAMINATION

I. PATHOLOGY BACTERIOLOGY AND PARASITOLOGY

Theory :

Only broad basic training in pathology free from specialist bias should be taught to students. Knowledge of bacteriology and pathology are nevertheless necessary for a complete homoeopathic physician but it is for the purposes other than Therapautics such as for diagnosis, prognosis, prevention of disease and general management.

General Pathology :

Introduction, scope, old (allopathic) and new school Homoeopathic view. Health and disease, etiology of diseases, infection, definite adoption, inflamation.

Disturbances of circulation, Diseases of the Blood, Hyperaemia. Thrmeosis and Embolism including infection, Oedema, Fever, Regenerative tissue changes, Hypertrophy and Hyperplasia. The healing process, healing of special structures. Degenerative tissue changes, proliferative tissue changes. Immunity special Pathology in respect of diseases of the Blood, general consideration pernicious anaemia aplastic anaemia, chlorosis, leukemia. Diseases of the circulatory system. pericarditiaovrtitis surism Maniggitis Diseases of the respiratory system, kidney, alimentary tract cirrhosis of liver Diseases of unknown causation.

Bacteriology :

The morphology, biology and pathogenic qualities of the micro organisms.

Parasitology :

The morphology, Biology and pathogenic qualities of protozoe. Entamoeba Histolytica Mastigophore leishmana, Sporozoa plasmodium of syphilis, weils diseases, rat bite fever, ascaria lumoncoides oxyuris variculaties flaria Banorofti Banorofti.

Viruses :

Small Pox, Chiken Pox, Measles, Common cold, Harpes Zoster. Acute Anterior. Polyo Myelitis, Influeza, Encephalitis, Letherigica, Epidemical infective hepatitis Primary typical Pneumonia.

1. Hi[illegible] studies of tissues and organs.

2. Microscopic specimens of pathogenic organismas.

3. Technique of collection, preparation and examination of morbid materials blood, urine, pus, sputum, exudates.

Forensic Medicine and Toxicology :

Legal procedures.—Medical Jurisprudence, courts and their jurisdiction.

Medical Ethics, and different Acts, Examination, identification of persons living and dead, parts, bones, stains etc. Death Medicolegal, Post mortem, Assaults, Wounds, injuries and death by violence, blood stains, seminal stains, Burns, scalds, lightening, stroke, starvation, pregnancy, delivery, abortion, infanticide, sexual crimes, Insanity, Toxicology, Poisons in general, symptoms, treatment. postmortem appearance and tests.

2. **Medico legal post mortem :**

Recording post mortem appearance, forwarding material to chemical examiners, Interpretation of laboratory and chemical Examiners findings weapons, organic inorgan poisonous substances, poinsonous plants, Demonstration of charts diagrams, models, X-Ray films etc. of Medico legal interest. Weapons, organic and inorganic poisons, poisonous plants.

3. **Preventive and Social Medicine :** (Health education and Family Planning).

1) **Physiological Hygiene :**

Food and Nutrition, Air. Light and sunshine effect of climate, personal Hygiene.

(2) **Environmental sanitation :**

(a) Definitions and importance.

(b) Atmosphere pollution, purification of Air, Air borne diseases, Air sterilisation.

(c) Water supplies, sources and uses etc. water borne diseases, imparities and purifications Public Water supply.

(d) Conservancy

(e) Sanitation of f[illegible]

(f) Dis-infection [illegible]

(3) Preventive Medicines :

Prevention and control of communicable disease, common diseases. Homoeopathic view regarding prophylaxis and vaccination. Natural history of diseases.

(4) Family Planning :

National family planning programme, knowledge, attitudes, contraceptive practices, population and growth control. Demography.

4. **Homoeopathic Materia Medica :**

(1) Application of Materia Medica should be demonstrated from cases in the outdoor and hospital wards.

(2) Nature and scope of Homoeopathic Materia Medica. Sources, ways of study.

(3) Drug, its common name, natural order habitat, parts used, preparation, sources of drug proving characteristic symptoms and modalities, comparation, complementary, inimical, antidotal and concordant, remedies and therapeutic applications.

(4) Study 12 tissue remedies according to schussler's biochemic system of medicine.

List of Drugs

(1) Abrotanum
(2) Aesculus' Hip
(2) Aethusa Gyn.
(4) Alees Soc
(5) Allumina
(6) Ammonium Carb
(7) Antimonium Crud
(8) Antimonium Tart
(9) Apis Mellifaca
(10) Argentum Met
(11) Argentum Nit
(12) Arsenicum Alb
(13) Aurum Met
(14) Arum Triph
(15) Boptisia
(16) Barytacarb
(17) Bereric Vulgaris
(18) Calcaria Carb
(19) Calcaria Flour
(20) Calcaria Phos
(21) Calcaria Sulph
(22) Carbo Veg
(23) Chamomilla
(24) Cina
(25) Colocynthis
(26) Drosera
(27) Euphrasia
(28) Ferrum Phos
(29) Graphities
(30) Hepur Sulph
(31) Helleborus
(32) Heyoseyamus
(33) Ignatia
(34) Hypericum
(35) Ipecac
(36) Kali Bich
(37) Kali Carb
(38) Kali sulph
(39) Lachesis
(40) Ledum Pal
(41) Lycopodium
(42) Marcurius cor
(43) Marcurius Sol
(44) Natrum Mur
(45) Natrum Phos
(46) Natrum sulph
(47) Natric Acid
(48) Platina
(49) Podophyl Ium
(50) Pulsatilla
(51) Secale Cor
(52) Sepia
(53) Silicia
(54) Sulphur
(56) Thuja
(56) Veratrum Alb.

5 **Organon and Principles of Homoeopathic Philosophy :**

Dr. Hahnemann's organon of medicine. The implications of the logical principles by which homoeopathy was worked out and built up and with which Homoeopathy Physician has to conduct his daily work with case and facilities in treating every concrete individual case.

THIRD DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC MEDICINE & SURGERY-EXAMINATION

1 Practice of Medicine :

Paper No. 1 :

1. Infections diseases, disorders of endoerins system, diseases of melabolism, deficiency diseases, diseases of blood spleen and lymph glands and tropical diseases Homoeopathic thedapeutics.

Paper No. II :

Disease of locomotor system, diseases of nervous system, diseases of cardiovascular system, diseases of urinary and genital system, common skin diseases, diseases of children. Homoeopathic therapeutics.

SURGERY

A large number of conditions being amenable to internal medication in Homoeopathy the scope of latter is much wider and that of surgery is to that extent limited, But as a supplement to medicine, surgery has a definite place in Homoeopathy and should be taught accordingly.

Paper No. I :

Inflamation, specific and non-specific infections, heaemorrhage shock, burns, ulcer and gangrene, tumurs and cysts. injuries and diseases of nerves, muscles, tendens and bones, lymph and vascular system including spleen.

Head, and neck surgery including surgery of thyroid, breast and congenital anomalies. Abdonimal surgery including gastro intestinal system. Bone and joint surgery. Injuries and and diseases of spine. Defcrmaties of limbs. Thoracic surgery. Genito urinary surgery Homoeopathaic therapeutics.

Paper No. II :

Otorhinolaryngology, veneral diseases. Opthal mology, dental and Homoeopathic thedapeutics and scope of surgery in Homoeopathy.

3. OBSTETRICS AND GYNAEOCOLOGY

Paper No. I : Obstetrics and Paediatrics :

Puberty general physiology of menstrual cycle normal and abnormal pregnency, normal labour abnormal presentation, puerperium, the new born child, induction of abortion induction of labour, forceps. Episiotomy Version Homoeopathic Therapeutics.

Paper No. II : Gynaecology :

Anatomy of genital organs, physiology and endocrinology of menstruation, menapause and puberty. Menstrual anomilies, amenorrhoea. dysnenorrhoea, menorrhagis, matdopathica hoamorrhagia, leucorrhea. Diseases of external genital organs vulvitis, bathelnitis ulcer of vulva. pruritus, tumours of vulva, veneral diseases. Diseases of vagina, vaginitis, tumours of vagina. cervix, cervicitis, displacement, inflamation, fibroids, carcinume uterus, fallopian tube, inflamation. Pelvic peritonitis, pelvic cellutitis, overy inflamation Tumour sterility. Gynaecological operations Dilatation and curetting of uterus. Homoeopathic Therapeutics.

[illegible] MEDICA

List of drugs.

(1) Acetic Acid	(35) Indium
(2) Actaes Racemosa	(36) Kreosotum
(3) Agaricus Mus	(37) Lac Camnum
(4) Agnus Castus	(38) Lilium Tig
(5) Ambragrisea	(39) Magnesia Carb
(6) Anacardium	(40) Medorrhinum
(7) Arsenicum Iod	(41) Mazereum
(8) Bismuthum	(42) Moschus
(9) Bovista	(43) Murex
(10) Cactus G.	(44) Murietic Acid
(11) Calcaria Ars.	(45) Natrum Cab
(12) Camphora	(46) Nux Moschata
(13) Cannabis sativa	(47) Opium
(14) Cantharis	(48) Petroleum
(15) Capsicum	(49) Phosphoric Acid
(16) Carbolic Acid	(50) Plumbum
(17) Carcinosia	(51) Psorinum
(18) Caul ophyllum	(52) Pyrogenium
(19) Chelidonium	(53) Ranunculus Bulb
(20) Cicuta virosa	(54) Rhododendron
(21) Cocculus Ind	(55) Rumex
(22) Conium	(56) Ruta
(23) Crocus sativa	(57) Sabina
(24) Crotalus Hor.	(58) Sambucus
(25) Croton Tig	(59) Sanguinaria
(26) Cupurum Ars.	(60) Sarsaparilla
(27) Cupurum Met	(61) Spigelia
(28) Digitalis	(62) Stannum Met.
(29) Echinacea	(63) Staphysagria
(30) Eupatormum perfol	(64) Stramonium
	(65) Syphilinum
(31) Fluoric Acid	(66) Tuberculinum
(32) Glonoine	(67) Varfolinum
(33) Hammamelis vir	(68) Voratrum Vir
(34) Hydrastis	(69) Zincum Met.

5. ORGANON AND PHILOSOPHY

Dr. Hahnemann's organon 5th and 6th edition Aphorism 1 to 294. Introductory chapters of Hughes. The Principles and practice of Homoeopathy. Homoeopathic Philosophy (a) Kent's lectures in Homoeopathic Philosophy (b) stuart close lectures and assay on homoeopathic philosophy. (The genuis is homoeopathy) (c) Art of cure by homoeopathy by Robert (d) Science of therapeutics (Dunhum) History of Homeopathic Medicine. Chronic diseases by Dr. Hahnemann.

Paper No. I: Introduction to organon Aphorism 1 to 294. II History of Homoeopathic Medicine Homeopathic Philosophy and chronic diseases.

Practical : One case taking with miasmatic diagnosis.

6. HOMOEOPATHIC REPERTORY

Theoretical lectures with demonstration on case taking defficulties of taking a chronic case, recording and usefulness of record keeping; totality of symptoms, prescribing symptoms, uncommon peculiar and characteristic symptoms, general and particular symptoms, eliminating symptoms, analysis of common and uncommon symptoms. Gradation and evaluation of symptoms. Importance of mental symptoms, kind and sources of general symptoms concomitant symptoms.

History and types of repertories. Practical 15 short cases on Kent's repertory, 10 chronic (long cases on kent and 5 cases to be cross checked).

(Note:—Only one paper)

SCHEME OF LECTURES

The tentative numbers of lectures and demonstration/practicals/clinics classes in each subjects:—

S. No.	Subject	Theoritical	Demonstration/ practicals/Tutorials/Dessection/ clinicals
(1)	(2)	(3)	(4)
First D.H.M.S. Examination:			
1.	**Anatomy**	150	300 (including dissection)
2.	Physiology	150	150
3.	Pharmacy	30	50
4.	Materia Medica Introductory Lectures including Homp. Philosophy	150	...
2nd D.H.M.S. Examination:			
1.	**Pathology, Bacteriology and parasitology**	100	100
2	Forensic medicine & Toxicology	60	20
3.	**Preventive & social medicine**	100	50
4.	**Materia Medica**	100	...
5.	**Organon & Philosophy**	75	...
3rd D.H.M.S. Examination (11/2 years):			
1.	**Practice of medicine**	200	200
2.	**Surgery**	150	100
3.	**Obstetrics & Gynaecology**	150	100
4.	**Materia Medica**	200	200
5.	**Organon & Philosophy**	125	100
6.	**Repertory**	75	75

N.B. The minimum teaching hours available in a year is 1100-1200 hours, while the prescribed hours per year as above are much less, so the remaining hours should be utilized fully for teaching programmes.

APPENDIX

(Regulation 6 and 12)

Fees payable to the Council

Serial No. (1)	Particulars (2)	Rate of Fee (3)	Reg. No: (4)
(1)	First D.H.M.S. Examination	100.00	Reg. 38
(2)	Second D.H.M.S. "	150.00	Reg. 38
(3)	Third D.H.M.S, "	150.00	Reg. 38
(4)	Supplemenetary two subjects	80.00	Reg. 33
(5)	Supplementary more than two subjects	Full Exam. fee	Reg. 33
(6)	Late Fee Exam. Fee	15.00	Reg. 43
(7)	Mark Sheet	20.00	Reg. 38
(8)	Duplicate Mark Sheet	10.00	Reg. 49
(9)	Re-totalling of Marks per Subject	10.00	Reg. 48(i)
(10)	Re-checking maximum 3 Subjects	100.00	Reg. 48(i)
(11)	Re-checking maximum Subjects	30.00	Reg. 12
(12)	Duplicate copy of Enrolment certificate	10.00	Reg. 16
(13)	Fee for transfer from one institution to another institution.	25.00	Reg. 20(iv)
(14)	Duplicate copy of admission card	2.00	Reg. 45(3)
(15)	Duplicate copy of D.H.M.S. Diploma Certificate.	25.00	Reg. 50

Note:—The prescribed fees are excluding the postal charges, which shall be payable separately if asked by the council.

FORM ONE (A)

(See regulation 13)

GRAM : "HOMOEOCOUNCIL"

TELEPHONE: 73131

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATH MADHYA PRADESH

NOOR MAHAL ROAD, BHOPAL—462001

ENROLMENT FORM.

(To be filled in by the college)

1. Admission Number of the College

Photograph of the student attested by the Principal

2. Enrolment Fee Rs ....
3. Receipt Number & Date (issued by the College)........

(All entries should be filled in by the student in his own handwriting)

5. Name of student (In English Block Letters)...........
6. Name of Father/Husband (In English Block Letters)...........
7. Name of student with Fathers/Husband's Name (in Hindi)...........
8. Date of birth in Calender Year & month (Copy of High School/H. S. S. Certificate beattached)...........
9. Academic Qualifications (Copy of certificates be attached............
10. Duration of stay in Madhya Pradesh Certificate from a Gazetted Officer/ Municipal Councillor/M.L.A;...........
11. Present address to which the corresponaence desired ....

12. Permanent Address ....
....
....

13. Date of admission ....

I solomnly declare that the particulars stated in paragraph 5 to 13 above are true to the best of my knowledge and belief.

Encls :—

1.
2.
3.

Signature of the Applicant
(in legible handwriting).

Place.................. Countersigned by the Forwarding Officer (Principal along with the seal of the institution).

FOR USE OF COUNCIL OFFICE

Form of Shri.................Son/Husband of...... of College.......................received in the time alongwith Enrolment Fee with necessary certificates & is allotted the ENROLMENT NUMBER ....

Signature of the
Incharge

REGISTRAR,
Bhopal.......... State Council of Homoeopathy
Date............ Madhya Pradesh.
Bhopal.

FORM ONE (B)

(See Regulation 15)

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY
MADHYA PRADESH

ENROLMENT CERTIFICATE

Shri/Smt./Ku...
Son/daughter/wife of Shri.................................
of college ....has been enrolled as student to undergoing training for D.H.M.S, of the State Council of Homoeopathy, Madhya Pradesh, Bhopal at NUMBER...................

NOOR MAHAL ROAD,
BHOPAL—462001 Registrar,
State Council of Homoeopathy
Date................ Madhya Pradesh.

FORM TWO

(See regulation 18)

College Leaving Certificate

No change in any entry in this certificate shall be made except by the authority issuing it. Issued under regulations No. 19.

Name of College..
S. No. .... Admission No. ....

1. Enrolment No. of the Council...............
2. Name of the Candidate.........................
3. Caste and religeon ....
4. Father/Husband's name..........................
5. Date of birth (in words and figures) ....
6. Place of birth.......................................
7. Date of admissions in the College ....
8. Date of leaving the college.....................
9. Reason of leaving the college ....
10. Last examination passed.........................
11. Progress and conduct ....

This is to certify that .... son/daughter of .... Leaving this institution on .... and has paid all dues to the college.

Date of issue ....

Principal
With college seal

FORM THREE

(See Regulation 33 and 38)

D.H.M.S. Examination. { First / Second / Third / Supplimentary

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY
MADHYA PRADESH, BHOPAL

Application for examination in Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery

To
The Registrar,
State Council of Homoeopathy,
Madhya Pradesh, Bhopal.

Sir,

I intend to appear in the Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery First/Second/Third/Supplimentary Examination, as Regular Student, of the State Council of Homoeopathy, M.P.,

The Examination fee of Rs. .... (Rupees ....)
and Mark Sheet fee of Rs. ....(Rupees.........)
have been deposited vide receipt No. ....
Dated ....

Date ....

Place.......... Signature of Applicant.

To be filled in by the candidate

1. Name of applicant : (English).........
   with father's/husband's ....
   name, both in English (Hindi)...........
   and Hindi.
2. Name of local guardian :......................
3. Permanent address with
   post office and distt. :..............................
4. Present address which is
   used for postal correspondence :..............
5. Date of birth :...................................
6. Subjects of Examination
   with the name of the
   Examination :

   ....Examination..............

   1......2......
   3........4........
   5........6........
7. Medium, Hindi/English :......................
8. Enrolment No...........year..............
9. Last Examination Passed ....
   and the Year of Passing.
10. Last Examinatiin appeared...........
    and failed/got supplementary
    and the Year.
11. Roll No. of Last Examina-.............
    tion in which the candidate has
    failed.
12. Certificates enclosed :
    (1) Mark Sheet of passing H.S.S.C. Examination.
    (2) Mark Sheet of passing/appearing in previous D.H.M.S. Examination.

Date................ ....

Signature of applicant.

(To be filled in by the Principal/Forwarding authority of the College)

Certified that the applicant Shri/Smt./Ku...... S/o, D/o, W/o Shri..........is a regular candidate of (institution)......................... and has studied and completed the prescribed course necessary for appearing in the............. Examination. The applicant has got the minimum prescribed attendances in each subject.

The applicant has failed to maintain the prescribed attendances by ....in the subject/subjects. Medical certificate is attached herewith. Recommended to permit the applicant to appear in the examination.

The examination and Mark fees of the applicant Rs. .... (Rupees................) has been collected and credited to the Council vide Bank Draft/M.O./Cash receipt No......... Dated............................

This application is forwarded with late fee alongwith the usual examination fees of Rs. ....(Rupees..............).

There is no dues and no property of the institution is outstanding against the applicant and he has deposited all the fees due to him. His case is recommended for permitting him take the desired examination.

No. .... Signature of Principal.

Date............. Seal of Institution.

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY
MADHYA PRADESH, BHOPAL

First
Second
Third
Supplementary

D.H.M.S. Examination, Annual/ Supply. 19 ....
(All entries, except Roll No. have to be filled in by the candidate. Item No. 5, shall be attested by the Principal of the College).

Enlistment No.................Roll No. ....

1. Applicant's Name......................
   (in Hindi).
   (in English)..........................
2. Father/Husband's Name ....
3. Permanent Address ....
   ....
   ....
   ....

4. Subject offered :

D.H.M.S. Examination

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

5. The applicant has correctly written and filled in all the entries of the application and the Forwarding Officer has checked all entries of the form. Attested copy of Mark sheet of the last examination taken by the candidate is enclosed.

Examination fees of Rs..... (Rupees..... =.....) credited to the Council vide cash Receipt No./Bank Draft/M. O. Number ..... Dated .....

Signature of Principal Forwarding Officer with Seal.

Signature of Applicant

(For Council Office)

1. Examination application examined and fee has been received.
2. Examination application accepted with late fee.
3. Examination application rejected :—
   1. Received after the date fixed for late fee.
   2. Form is incomplete.
   3. Form is not forwarded by the Principal or Forwarding Officer.
   4. The candidate has not been enrolled.
   5. Other reason.

Exam. Clerk. Registrar.

FORM FOUR

(See Regulation 45)

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY MADHYA PRADESH, BHOPAL.

D. H. M. S. .....Annual/Supplementary Examination. ..... (All entries except roll number to be filled in by the candidate at the time of filling application forms)

ADMISSION CARD

S. No. .....

Enroll No. .....Roll No. .....

Shri/Smt. Ku. .....

S/o. W/o, D/o, Shri ..... is permitted to appear in ..... D. H. M. S, Examination 19.....starting from .....as a Regular/Supplementary Candidate of..... at Centre .....

Dated..... Registrar,

State Council of Homoeopathy
Madhya Pradesh, Bhopal.

Confidential.

FORM FIVE

[*See* Regulation—66(ii)]

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY MADHYA PRADESH, BHOPAL

FORM OF REPORTING CASES OF USE OR ATTEMPT TO USE UNFAIR MEANS AT THE EXAMINATION

Unfair Means at the Examination

..... D.H.M.S. Exam. 19.....

Name of Institution .....

Regular/Supplementary .....

Subject and paper in which candidate is replied to have used/attempted to use unfair means. .....

Paper No. .....

Day ..... Date ..... Time .....

Particulars Materials found in possession of the candidate. .....

1. Name of Books .....
2. Page Number of the torned leaves of books/ or Manuscript slips, ...

Centre Supdt. or Invigilator who caught him .....

Note.—Material of unfair means shall be signed by the Centre Superintendent/or Invigilator.

Statement of the candidate to be obtained in his own handwriting.

(1) Were the above .... articles recovered from your possession? ....

(2) Why did you keep .... them with you? ....

(3) Did you make any .... use of them? ....

(4) Have you any thing .... else to state? .... (State what you .... have to say) ....

....

Certified that this Statement was made in my presence or declined to give any statement.

....

....
Superintendent.
Date............

....
Signature of Candidate.
Date....................
Time....................

Report of invigilator
Date..................*19*

Time.............
Signature of Invigilator

Report of the Superintendent of Examination Centre

(It should be definite and unambiguous).

Certified that—

1. The candidate used only One/Two answer books or refused to take another answer books.

Date.............

Time...........
Signature of Superintendent.

Report of the Head Examiner:

1. Is the Material relevant to the subject of the paper?
2. Did the candidate make any use of the material? If Yes, in which question or questions.
3. Further observations if Examiner wishes to give.
4. Marks gained by the candidate in answer book in which he was detected using unfair means.
5. Marks gained by the candidate in the Second answer book supplied to him after detection.

Date ....
Signature of Examiner.

Decision of Council.

Signature of Examination Officer.

FORM SIX

(See regulation 32)

S. No. ....
Roll No.... ....

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY MADHYA PRADESH

DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY

This is to certify that Shri/Smt./Ku.............. son of/wife of/daughter of Shri................ has passed the Final Diploma in Homoeopathy Medicine and Surgery Examination 19........... from Centre.........................and holder of this certificate is entitled to practice in Homoeopathy and Biochemistry systems and Surgery in accordance with provisions of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and rules made there under.

President/Administrator
Registrar.

Bhopal:

Date...............................

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. C. CHATURVEDI, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1982.